

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार



"अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएगी।"

डॉ. राम मनोहर लोहिया

वर्ष-09, अंक - 02 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 29 अक्टूबर 2026 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

देर से जागी सरकार व प्रशासन, 12 जिलों को किया सुखाग्रस्त घोषित, जिला प्रशासन के जलस्त्रोतों पर प्रतिबंध के आदेश

माही की गूंज, झाबुआ।

संजय भटेवरा

कहते हैं कोई भी कार्य समय पर निर्णय लेकर किया जाए तो, वह बिना किसी ज्यादा मशक्कत के वह कार्य पूर्णतः सफल होता है,लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की सरकार व उसके प्रशासनिक नुमाइंदों की कार्य प्रणाली सदैव ऐसी रही है कि, वह समय पर या समय पूर्व कोई कार्य नहीं करते हैं, यानी सांप के निकल जाने के बाद ही लाठी पीटते है। ऐसा ही एक निर्णय व आदेश इस वर्ष अल्पवर्षा के बाद अब जाकर लिया व दिया गया है।

इस वर्ष हुई कम बारिश के चलते हर कोई पेयजल व्यवस्था को लेकर तथा खासकर मवेशियों के लिए चिंतित थे। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं यही मान रही थी कि, किसी तरह रबी की फसल के लिए नहरो से दो पानी दे दिया जाए और प्रदेश के पिछडे जिलों को सुखाग्रसित घोषित न करना पड़े। इसी ओहापोह में सरकार थी।

सरकार की जानकारी रखने वालों का मानना है कि, नरेगा में जो कार्य जलस्रोत हेतु तालाबों व डेम अनगिनत बनाए गए थे उन सभी जलस्रोतों में कम ही सही पर सभी में पानी होगा जिसके चलते आने वाले अगले वर्ष के मानसून तक जैसे तैसे पेयजल की समस्या नहीं रहेगी ऐसा सरकार मान रही थी। इसीलिए अब तक सरकार ने प्रदेश के उन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया, जहां अल्पवर्षा हुई। जबकि अधिकांश तालाब व डैम जो नरेगा में बनाए गए हैं, उनमें पर्याप्त मानसून के बावजूद बारिश के तुरंत बाद ही भ्रष्ट रूपी बने इन जलस्रोतों में पानी नहीं रहता है।

बताया जाता है कि, सरकार फ्री की योजनाओं के साथ बड़े कर्ज में डूबी है और सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में भी सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सुखाग्रस्त घोषित करने पर सुखा ग्रस्त जिलो को विकास हेतु विशेष पैकेज देने से बचने का प्रयास सरकार कर रही थी। लेकिन आखिरकार सूखाग्रस्त जिलों से लोगों के विरोध के सुर के बाद मंगलवार को प्रदेश के रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार , शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, पाडुरना आदि 12 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। वहीं अब इन 12 जिलों को पेयजल समस्या के समाधान एवं विकास कार्य हेतु विशेष पैकेज की घोषणा भी करना पड़ेगी।



झाबुआ प्रशासन सूस्त, रतलाम जिला प्रशासन ने पहले ही जारी किए जलस्रोत बचाव के आदेश

झाबुआ जिले की बात करें तो यहां पर्याप्त मानसून के बावजूद भी प्रतिवर्ष मार्च माह से लेकर जून तक जाते-जाते पेयजल की समस्या बढ़ जाती है और उक्त मूलभूत समस्याओं के संबंध में मीडिया व समाचार पत्रों के पन्ने भी भरे होते हैं।

ऐसे में इस वर्ष अल्पवर्षा के चलते जिले में इंसानों के साथ-साथ मवेशियों के लिए भी पीने के पानी हेतु बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। वहीं सरकार द्वारा जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने में देरी की गई। जिसके चलते जिन तालाबों में थोड़ा बहुत पानी या उनमें रबी फसल हेतु एक-एक पानी देने का कार्य शुरू हो गया था। वहीं कपास फसल में भी पानी पिलाया जा रहा था।

किसानों का मानना था कि, माही नहर से पेटलावद क्षेत्र के लोगों को रबी की फसल हेतु दो पानी नहर से दिया जाएगा। वहीं जहां नहर का पानी नहीं है उन क्षेत्र में जहां-जहां बने सिंचाई तालाबों से पानी लेकर अपनी रबी की फसल की उपज कर सकेंगे। इसी अनुमान के साथ किसानों ने अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक खरीब की फसल की कटाई-बुनाई करने के बाद, चने व गेहूं की फसल को बोने का सिलसिला शुरू कर दिया व तालाब किनारे पानी की मोटरे रख जलस्रोत का प्रबंध भी कर लिया गया था।

जिले के किसानों का मानना था कि, सरकार ने अब तक जिले को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया है तो आगे भी सरकार शायद जिले को सूखाग्रस्त घोषित नहीं करेगी।

वही रतलाम जिला प्रशासन ने अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही शासकीय कुएं ,बावड़ी, तालाबों में से कृषि एवं व्यवसाय हेतु जल स्त्रोत पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन झाबुआ जिला प्रशासन ने ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए थे। जिसके चलते किसानों ने रबी की फसल एवं कपास में पानी पिलाने हेतु सिंचाई तालाब में से पानी लाने की व्यवस्था कर ली थी। ऐसे में मंगलवार को सरकार के निर्णय में प्रदेश के 12 जिलों में झाबुआ जिले को भी सूखाग्रस्त घोषित किया। इसके बाद झाबुआ जिला प्रशासन ने शाम को जनसंपर्क में जारी प्रेस नोट में आदेश जारी किया कि, जिले में औसत से कम वर्षा होने पर समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप (बोरवेल) खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त प्रतिबंध में यह कहीं उल्लेख भी नहीं किया कि, परमिशन के बाद नलकूप खनन किया जा सकता है। ऐसे में स्पष्ट है कि, जिले में निजी नलकूप खनन हेतु इस वर्ष एसडीएम द्वारा भी परमिशन नहीं दी जाएगी। वही आदेश में यह भी कि, नदी, बावड़ी, शासकीय कूप व तालाबों से कृषि एवं व्यवसायिक जलस्रोत पर प्रतिबंध के साथ जलस्रोतो को अधिग्रहण करने का आदेश जारी किया।

अगर कोई भी किसान खेती हेतु या व्यवसायिक व्यक्ति ईट-भट्टे आदि हेतु तालाबों से पानी लेते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आदेश के बाद भी कोई चोरी-चुपके पानी लेता है और उसकी जानकारी जो व्यक्ति देगा उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं होगी। वहीं पेयजल की उपयोगिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उक्त निर्देश के बाद पंचायत सचिव से लेकर सभी प्रशासनिक कर्मचारी नदी-तालाबों पर पहुंच रहे हैं और जिन किसानों ने रबी एवं कपास की फसल हेतु बावड़ी, तालाबों से पानी हेतु लगाई गई मोटरों को हटाया जा रहा है जो कि कई जगह विवाद का कारण बनेगा यही तय है।

किसानों का कहना है कि सरकार व प्रशासनिक नुमाइंदे दोनों देरी से जागे हैं। सरकार को पहले ही अल्पवर्षा के चलते सूखाग्रस्त घोषित कर देना था। तथा जिला प्रशासन को भी रतलाम की तर्ज पर 15 दिन पूर्व यह आदेश जारी हो जाते तो किसान असमंजस्य में नहीं रहता और तालाबों से पानी की उम्मीद नहीं करता। लेकिन किसानों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली उसके बाद सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया। जिसके बाद जिला प्रशासन जागा और जलस्रोतो पर प्रतिबंध आदेश जारी किया। जिससे किसानों को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

राम मंदिर ट्रस्ट पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, एजेंसी।

अयोध्या स्थित राम मंदिर के लिए मिले चढ़ावे और कीमती दान में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में जवाब देने की मांग की है। उन्होंने पूरे प्रकरण की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी दोहराई।



जयराम रमेश ने सामाजिक माध्यम पर जारी एक संदेश में कहा कि देश जानना चाहता है कि दान में मिली राशि और कीमती वस्तुओं के प्रबंधन में कथित गड़बड़ियों के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने दावा किया कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन के कुछ महीने बाद, नवंबर 2020 में एक निजी लेखा-परीक्षा कंपनी ने आंतरिक लेखा-परीक्षा और जोखिम प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं में कई खामियां बताई थीं।

रमेश के अनुसार, लेखा-परीक्षा कंपनी ने प्रबंधन व्यवस्था को गैरपेशेवर बताते हुए जिम्मेदारियों के स्पष्ट निर्धारण, दान का व्यवस्थित अभिलेख रखने और लेन-देन की दोबारा जांच करने की व्यवस्था में कमियों की ओर ध्यान दिलाया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि बैंक खातों के मिलान, लेखांकन के लिए योग्य कर्मचारियों की उपलब्धता और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े आंकड़ों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने की बात सामने आई थी।

कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि यदि वर्ष 2020 में ही इन कमियों की जानकारी दी गई थी, तो उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए।

शेयर बाजार में जियो प्लेटफॉर्म्स की शुरुआत, 12.50 लाख करोड़ पहुंचा बाजार

नई दिल्ली, एजेंसी।

जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने भारतीय शेयर बाजार में शानदार शुरुआत करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। देश का अब तक का सबसे बड़ा आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) पूरा करने के बाद कंपनी के शेयर बुधवार, 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) और बंबई शेयर बाजार (बीएसई) पर 21.36 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 1,358 रुपये प्रति शेयर पर सूचीबद्ध हुए। कंपनी ने प्रति शेयर 1,119 रुपये का निर्गम मूल्य तय किया था। सूचीबद्धता के बाद कंपनी का बाजार पूंजीकरण करीब 12.50 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, जिससे वह देश की दूसरी सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी बन गई।



बाजार पूंजीकरण के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 15.89 लाख करोड़ रुपये के मूल्यांकन के साथ पहले स्थान पर रही। वहीं, भारती एयरटेल का बाजार पूंजीकरण 12.05 लाख करोड़ रुपये, एचडीएफसी बैंक का 10.42 लाख करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक का 9.80 लाख करोड़ रुपये बताया गया। जियो प्लेटफॉर्म्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज का संयुक्त बाजार मूल्यांकन करीब 28.40 लाख करोड़ रुपये रहा।

दीपके एनडीए में आएं तो स्वागत करेंगे - आठवले

नई दिल्ली, एजेंसी।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास आठवले ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि यदि दीपके उनके साथ जुड़ते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा।



आठवले के मुताबिक, पार्टी को मजबूत बनाने और आंबेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए युवा नेताओं की जरूरत है।

नागपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान आठवले ने कहा कि अभिजीत दीपके भी बाबा साहेब आंबेडकर की विचारधारा का पालन करने वाले युवा नेता हैं। उन्होंने कहा कि आंबेडकर की राजनीतिक विरासत को मजबूत करने के लिए ऊर्जावान और दूरदर्शी युवाओं को आगे आना चाहिए। दीपके के उनकी पार्टी में शामिल होने से संगठन और आंबेडकरवादी आंदोलन को मजबूती मिल सकती है।

आठवले इससे पहले भी दीपके को अपनी पार्टी से जुड़ने का आमंत्रण दे चुके हैं। उन्होंने अगस्त में भी सार्वजनिक रूप से कहा था कि बाबा साहेब आंबेडकर के सपनों को पूरा करने और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए दीपके जैसे नेताओं को साथ आना चाहिए। इसके बाद भी आठवले कई बार दीपके को लेकर अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं।

हालांकि, आठवले के लगातार निमंत्रण के बावजूद अभिजीत दीपके ने अब तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। अगस्त में मिले पहले निमंत्रण पर दीपके ने भाजपा नेताओं के पुराने बयानों का उल्लेख करते हुए सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जब कुछ भाजपा नेता पहले उन्हें राष्ट्रविरोधी बता रहे थे, तो अब सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण देना विरोधाभासी है।

11 हजार का इंजेक्शन 1.30 लाख रुपए में बिकने पर एससी नाराज

नई दिल्ली, एजेंसी।

दवाओं की कीमतों में भारी अंतर और मरीजों से वसूली जा रही मनमानी राशि पर सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर चिंता जताई है। कैंसर के एक इंजेक्शन का उदाहरण देते हुए अदालत ने केंद्र सरकार और दवा कंपनियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। अदालत के सामने बताया गया कि जिस इंजेक्शन की कीमत करीब 11 हजार रुपये है, उसी के लिए एक निजी अस्पताल में 1.30 लाख रुपये वसूले गए। इस पर न्यायालय ने सवाल किया कि दवाओं की कीमतों में इतना बड़ा अंतर कैसे उचित ठहराया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की भूमिका पर भी सवाल उठाए। पीठ ने दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य और अस्पतालों या अन्य विक्रेताओं द्वारा वसूली जाने वाली राशि के बीच भारी अंतर पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि जब मरीजों के इलाज और उनकी जिंदगी का सवाल हो, तब ऐसी व्यवस्था को अनदेखा नहीं किया जा सकता।



मामले में बताया गया कि एक दवा कारोबारी की पत्नी को निजी अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की एक खुराक के लिए 1.30 लाख रुपए चुकाने पड़े, जबकि संबंधित दवा कारोबारी को वही इंजेक्शन करीब 11 हजार रुपए में मिलता था। इस अंतर को लेकर अदालत ने सवाल उठाया कि अतिरिक्त राशि आखिर किस मद में ली जा रही है।

केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने दलील दी कि भारत में दवाओं की कीमतें दुनिया के कई देशों की तुलना में कम हैं। अदालत ने दवाओं और चिकित्सा सामग्री की कीमतों में अंतर के अन्य उदाहरणों का भी उल्लेख किया। सुनवाई में बताया गया कि करीब 11 रुपये की खारे पानी की बोतल बाजार में 270 रुपये तक में बेची जा रही है। इसी तरह, पांच हजार रुपये की लागत वाला हृदय का स्टेंट 25 हजार रुपये से अधिक में और 28 रुपये की एंटीबायोटिक दवा एजिथ्रोमाइसिन 70 रुपये से अधिक में बेचे जाने के उदाहरण सामने आए।

पीठ ने कहा कि दवाओं और चिकित्सा सामग्री की कीमतों में इस तरह का अंतर उन मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता है, जो पहले से ही इलाज के खर्च से जूझ रहे हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने दवा मूल्य निर्धारण व्यवस्था की प्रभावशीलता और मरीजों को उचित कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराने की जरूरत पर गंभीर सवाल उठाए।

सड़क हादसा: न्यायिक अधिकारी के बेटे को जमानत नहीं, पुलिस आयुक्त पद से हटाए

कोच्चि।

केरल के चेरानल्लूर में हुए सड़क हादसे के मामले में कोच्चि जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी न्यायिक अधिकारी के बेटे को जमानत देने से इनकार कर दिया है। वहीं, मामले को संभालने में कथित लापरवाही को लेकर उठे विवाद के बीच कोच्चि के पुलिस आयुक्त कलिराज महेश को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह आर. निशांतिनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस की भूमिका और जांच प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं।



यह हादसा 25 अक्टूबर 2026 को एर्नाकुलम जिले के चेरानल्लूर में हुआ था। आरोप है कि त्रिशूर जिले में पदस्थ एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के नाबालिग बेटे की कार ने दोपहिया वाहन से जा रहे 56 वर्षीय जय बालाकृष्णन को टक्कर मार दी थी। हादसे में उनकी मौत हो गई थी। वह अपनी दुकान से घर लौट रहे थे।

घटना के बाद चेरानल्लूर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) और 281 के तहत लापरवाही से मौत और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया था। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद मौके पर पहुंचे न्यायिक अधिकारी ने अपने बेटे को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया। परिवार का यह भी दावा है कि वाहन चला रहे नाबालिग के पास वैध वाहन चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी।

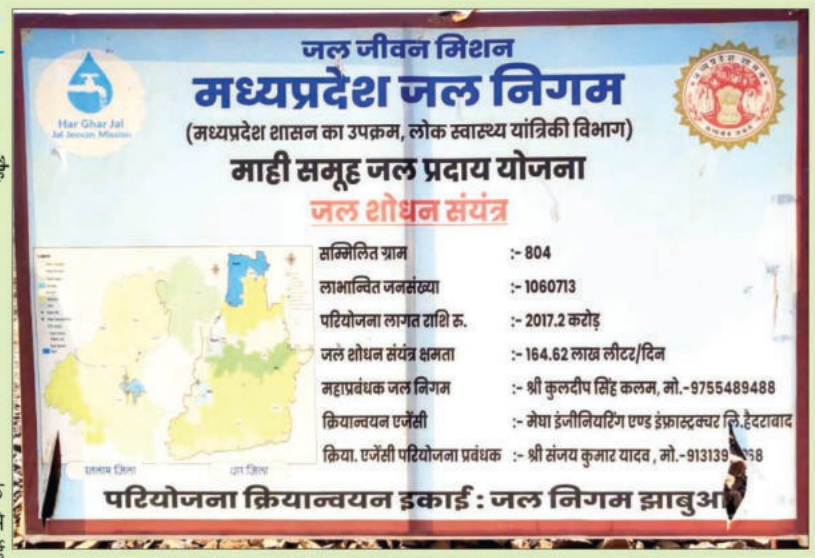
मृतक की रिश्तेदार जयलक्ष्मी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने नाबालिग के वाहन चलाने पर सवाल उठाए, तो उन्हें कानून न सिखाने की बात कही गई। परिवार ने पुलिस पर कार को तुरंत घटनास्थल से हटाने और साक्ष्य मिटाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया है।

मामले में पुलिस की कथित चूक को लेकर उठी आलोचना के बीच पुलिस आयुक्त को पद से हटाने का फैसला लिया गया। अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद अब मामले की जांच, पुलिस की भूमिका और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही पर नजर बनी हुई है।

आखिर क्यों की जा रही है खवासा क्षेत्र की उपेक्षा...

माही की गूंज, खवासा।

थांदला विधानसभा क्षेत्र की दशा और दिशा निर्धारित करने वाला खवासा क्षेत्र इन दिनों भारी उपेक्षा का शिकार हो रहा है और इसी उपेक्षा के चलते यहां मूलभूत आवश्यकताओं की भी कमी ही है। आजादी के बाद से ही यहां बारहमासी जल संकट व्याप्त रहता है और इस हेतु कई प्रयास किए गए लेकिन फिर भी नतीजा शुन्य ही रहा।



– माही पेयजल व नर्मदा सिचाई इन दोनो बडी परियोजना से वंचित खवासा क्षेत्र प्यासा के प्यासा।

हाल ही के दिनों में खवासा क्षेत्र के आसपास दो बड़े प्रोजेक्ट मंजूर हुई जिसमें से एक सरदारपुर नर्मदा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना जिसका हाल ही में 24 अक्टूबर 2026 को धार जिले के सरदारपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 2387.60 करोड़ लागत वाली इस भव्य परियोजना का लोकार्पण किया गया। इसके लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा रैली निकालकर धरना प्रदर्शन भी किया गया था।

यहां के लोगों की मांग थी कि, भले ही यह योजना सिंचाई के लिए बनी हो लेकिन खवासा में पेयजल संकट को देखते हुए इसका एक आउटलेट खवासा के तालाब में दिया जाए जिससे वर्ष भर तालाब भरा रहे और खवासा को आपूर्ति करने वाला पेयजल कुआँ वर्ष भर जीवित रहे। इतने व्यापक धरना प्रदर्शन के बाद भी प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ। इस परियोजना में 260 गांव के 72000 किसान लाभान्वित होंगे व कुल 57422 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। यही नहीं झाबुआ जिले के थांदला और पेटलावद विधानसभा के लगभग 32000 हेक्टेयर भूमि के साथ 194 गांव लाभान्वित होंगे लेकिन खवासा क्षेत्र सुखे के साथ प्यासा ही रहेगा।

दूसरी योजना है माही समूह जल प्रदाय योजना जिसका कार्य चल रहा है यह भी खवासा क्षेत्र के नजदीक से जुड़ी है लेकिन खवासा क्षेत्र का दुर्भाग्य की इस योजना का लाभ भी खवासा क्षेत्र को नहीं मिलेगा। यह परियोजना मुख्य रूप से झाबुआ जिले की सीमा से जुड़े तलावड़ा गांव के समीप माही में बन रही है। इसमें इंटेकवल और ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर तैयार की जा रही है। इस परियोजना की लागत लगभग 2100 करोड़ है। इस योजना में रतलाम जिले के 6300 से अधिक गांव व धार जिले के बदनावर विधानसभा के लगभग 170 गांव में शुद्ध पीने का पानी सप्लाई किया जाएगा। इस योजना का कार्य भी तेजी से चल रहा है और 2027 के अंत तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। इसमें जिले की सीमा में बन रही योजना की विडम्बना देखिए कि, इसमें झाबुआ जिले और खवासा क्षेत्र वासियों को पेयजल का लाभ नहीं मिलेगा। यानी एक तरफ सिंचाई की बड़ी परियोजना तथा दूसरी तरफ पेयजल की बड़ी परियोजना उसके बाद भी खवासा क्षेत्र को न पेयजल मिलेगा और न ही सिंचाई के लिए पानी ।

सरदारपुर परियोजना के लोकार्पण के बाद से ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है कोई इसे क्षेत्र के नेताओं की अकर्मण्यता बता रहा है तो कोई इसे खवासा क्षेत्र का दुर्भाग्य। वहीं परियोजना के श्रेय लेने की होड़ भी सोशल मीडिया पर लगी हुई है। उस पर कई लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं वहीं खवासा क्षेत्र के लोग निराश होकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। बहरहाल इन दोनों महत्वपूर्ण योजनाओं से खवासा क्षेत्र को लाभ न मिल पाने के कारण खवासा क्षेत्रवासी निराश अवश्य है जिसका सीधा असर आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है।

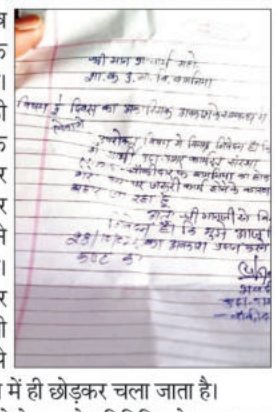


शिक्षक की कारस्तानी ऐसी की स्कूल से होता है लापता और छुट्टी का रचता है षड्यंत्र

माही की गूंज,बामनिया/पेटलावद।



बामनिया के चौकीदार फलिये में स्थित शासकीय नवीन प्राथमिक विद्यालय पर एक शिक्षक उदेसिंह पिता थावरिया डामर व शिक्षिका वैशाली मुणिया पदस्थ है। उक्त स्कूल में करीब 27 से 28 बच्चे पदस्थ है।



बुधवार को एक टेलिफोनिक माही की गूंज कार्यालय में शिकायत मिली कि, उक्त स्कूल में पदस्थ शिक्षक उदेसिंह डामर अधिकांश स्कूल में सुबह पहुंचता तो है पर रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज कर अपने निजी कार्य हेतु अक्सर रवाना हो जाता है। अगर कोई अधिकारी या पत्रकार स्कूल पर आ जाए तो अपने बचाव के लिये आधी छुट्टी का आवेदन प्राचार्य के नाम से लिखकर चौकीदार फलिये की उक्त स्कूल में ही छोड़कर चला जाता है।

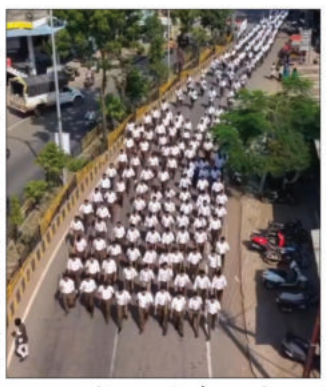
उक्त शिकायत के बाद हकीकत जानने हेतु हमारे प्रतिनिधि को स्कूल पर पहुंचाया तो शिकायत सही पाई गई। स्कूल समय में शिक्षिका वैशाली मुणिया तो उपस्थित थी पर उदेसिंह डामर स्कूल में पदस्थ नहीं थे। उपस्थित शिक्षिका ने बताया, सर आधे दिन की छुट्टी लेकर गए हैं और एप्लीकेशन लिखी है। तथा लिखी हुई एप्लीकेशन शिक्षिका ने हमारे प्रतिनिधि को बताई। जिसमें प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बामनिया के नाम से आधे दिन का आकस्मिक अवकाश के संबंध में एप्लीकेशन लिखी बताई गई।

बताया जा रहा है कि, शिक्षक उदेसिंह अक्सर इस तरह की कारस्तानी एप्लीकेशन लिखकर करता है। अगर कोई अधिकारी या पत्रकार आ जाए तो इस तरह की लिखी एप्लीकेशन उसके बचाव का कारण बन जाती है। और अगर कोई अधिकारी नहीं पहुंचे तो यह लिखी एप्लीकेशन रद्दी होकर रजिस्टर में पूरे दिन की अपनी उपस्थिति दर्ज की जाती है।

इस संबंध में नाम नहीं छापने की शर्त पर शिकायतकर्ता ने मांग की है कि, शिक्षक उदेसिंह कि, प्रतिदिन की उपस्थिति एवं लिखी एप्लीकेशन की जांच की जाना चाहिए ।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा निकाला गया विशाल पथ संचलन

माही की गूंज, पेटलावद।



रविवार को पेटलावद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन आकर्षण का केंद्र रहा। नगर की तीन बस्तियों से अलग-अलग निकले संचलन में स्वयं सेवक उत्साह के साथ शामिल हुए। इस आयोजन का सबसे विशेष दृश्य पुराना नाका पर देखने को मिला, जहां तीनों बस्तियों के पथ संचलनों का संगम हुआ। यहां से सभी स्वयं सेवक एक साथ कदमताल करते हुए गांधी चौक पहुंचे, जहां बौद्धिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। पथ संचलन के दौरान केशव बस्ती, माधव बस्ती और मधुकर बस्ती के स्वयं सेवक अपने-अपने निर्धारित मार्गों से आगे बढ़े। पुराना नाका पर तीनों बस्तियों के संचलन एक साथ मिले तो स्वयं सेवकों की एकजुट कतारें आकर्षण का केंद्र बन गईं। इसके बाद तीनों बस्तियों के स्वयंसेवक एक साथ गांधी चौक पहुंचे। यहां आयोजित बौद्धिक कार्यक्रम के साथ पथ संचलन का समापन हुआ। तीन अलग-अलग स्थानों से शुरू होकर एक साथ आगे बढ़ते संचलन का यह संगम आयोजन की विशेष झलक रहा।

जगह-जगह पुष्पवर्षा कर किया स्वागत

पथ संचलन जिन मार्गों और चौराहों से गुजरा, वहां नागरिकों ने पुष्पवर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। नगर के प्रमुख स्थानों पर स्वागत की तैयारियां की गई थीं। घोष दल की धुन पर एक साथ कदमताल करते स्वयं सेवकों को देखने के लिए लोग भी मौजूद रहे। पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन और एकरूपता का दृश्य दिखाई दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में विजयादशमी के अवसर पर हुई थी। यह दिन संघ के स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर पथ संचलन आयोजित करने की परंपरा रही है।

सामूहिक औली जी का आयोजन संपन्न

माही की गूंज, पेटलावद।



नगर में समग्र जैन समाज की एकता का अनूठा उदाहरण पेश करते हुए सामूहिक औली जी का आयोजन ऐतिहासिक सफलता के साथ संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन में जैन समाज के सभी वर्गों ने उत्साह पूर्वक सहभागिता की और तपस्वियों के पारणे के साथ यह धार्मिक अनुष्ठान सानंद पूरा हुआ। इस सफल आयोजन के संयोजक एवं श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन समाज पेटलावद के अध्यक्ष अशोक मेहता का विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा विशेष सम्मान किया गया।

तीनों बेटियां विशेष रूप से पहुंचीं

इस आयोजन की सबसे बड़ी और खास बात यह रही कि, जैनेतर भाई मांगीलाल राठौड़ ने जीवन में पहली बार औली जी की आराधना करते हुए लगातार 9 दिनों तक बिना नमक का आहार ग्रहण किया। पिता के इस कठिन तप की आनुमोदना करने के लिए उनकी तीनों बेटियां विशेष रूप से पहुंचीं और अपने हाथों से उनका पारणा करवाया, जो कि सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। समग्र जैन समाज ने नवकारसी में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं, समापन अवसर पर कई परिवारों ने प्रभावना का लाभ लिया।

आगामी चौत्र औली जी के लिए लाभार्थियों की घोषणा

आयोजन के संयोजक अशोक मेहता ने जानकारी दी कि, अगली चौत्र औली जी के 9 दिनों के लिए भी लाभार्थियों के नाम अभी से तय हो चुके हैं। इस अवसर पर लाभार्थी परिवार के सुरेशचंद सोलंकी एवं संयोजक अशोक मेहता का बहुमान महावीर समिति के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। जिसमें अध्यक्ष संजय भंडारी (गुड्डू भाई), उपाध्यक्ष अनोखीलाल लोढ़ा, विनोद बम, कोषाध्यक्ष अनुपम भंडारी और सचिव कीर्तिश चाणोदिया उपस्थित रहे।

इस धार्मिक समारोह को सफल बनाने में तेरापंथ समाज, स्थानकवासी समाज, मंदिर मार्गी समाज, दिगम्बर समाज और अरिहंत युवा वाहिनी का भी सक्रिय सहयोग रहा, जिससे यह आयोजन आपसी सौहार्द और एकता की मिसाल बन गया।

फलादिया मस्जिद का 224 वर्ग मीटर हिस्सा बन रहा बाधा

माही की गूंज, उज्जैन।



उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण को लेकर एक और मस्जिद का मामला सामने आया है। शाही मस्जिद के बाद अब फलादिया मस्जिद को नगर निगम ने नोटिस जारी किया है।

नगर निगम के मुताबिक, प्रस्तावित फ्लाईओवर के एलाइनमेंट में मस्जिद का 224 वर्ग मीटर हिस्सा बाधा बन रहा है। ऐसे में अब मस्जिद के इस हिस्से को लेकर प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू हो गई है।

जानकारी के मुताबिक, नगर निगम ने 23 अक्टूबर को नोटिस जारी किया था। इसमें मस्जिद के भूतल पर 16 मीटर चौड़े और 14 मीटर गहरे हिस्से का उल्लेख किया गया है। मस्जिद प्रबंधन को 27 अक्टूबर को जरूरी दस्तावेजों के साथ निगम मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था। अब दस्तावेजों की जांच और संबंधित पक्ष का पक्ष सुनने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।

प्रबंधन का करीब 100 साल पुरानी मस्जिद होने का दावा

मस्जिद प्रबंधन का दावा है कि फलादिया मस्जिद करीब 100 साल पुरानी है। मस्जिद परिसर में लगभग छह दुकानें भी हैं, जिन्हें कई दशक पुराना बताया जा रहा है। इन दुकानों से स्थानीय परिवारों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है। ऐसे में निर्माण की कार्रवाई का असर दुकानदारों और उनके कारोबार पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

224 वर्ग मीटर हिस्सा बन रहा बाधा

दरअसल उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को देखते हुए सड़क, यातायात और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को गति दी जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाना है, लेकिन निर्माण के रास्ते में आने वाली संरचनाओं को लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं। फलादिया मस्जिद के मामले में फिलहाल नोटिस जारी हुआ है। इसे अंतिम कार्रवाई नहीं माना जा सकता। अब देखना होगा कि दस्तावेजों की जांच और सुनवाई के बाद नगर निगम क्या फैसला लेता है।

बता दें कि पिछले महीने उज्जैन जिले में शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाए जाने की कार्रवाई को लेकर भारी विरोध देखने को मिला था। भारी संख्या में जमा हुए लोगों को पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। स्थिति को देखते हुए इलाके में पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वालों और पथराव करने वालों पर शिकंजा कसा।

युवा संघ की बैठक सम्पन्न

माही की गूंज, पेटलावद।

अखिल भारतीय गुजराती बलाई युवा संघ जिला झाबुआ की बैठक पेटलावद के ग्राम करडवद में सम्पन्न हुई । बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अशोक सोलंकी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र प्रदेश एवं प्रदेश के समस्त जिला अध्यक्ष व जिला प्रभारी के साथ संवाद कर आगामी समस्त जिलो में प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम की शुरुआत किये जाने को लेकर था। बैठक में सभी वक्ताओं ने संगठन के बारे में अपने-अपने विचार रखें साथ ही समाज मे संगठन की आवश्यकता, महत्व एवं लाभ पर विस्तार से प्रकाश डाला एवं अनेक उदाहरणों के माध्यम से उपस्थित समाजजनो को संगठन का महत्व समझाया। जिससे उपस्थित समाज जनों में नई ऊर्जा का संचार हुआ तथा झाबुआ जिले में समाज के संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया।

बैठक की अध्यक्षता झाबुआ जिला अध्यक्ष रमेश सोलंकी द्वारा की गई। बैठक में राष्ट्रीय, प्रदेश स्तर एव जिला स्तर के पदाधिकारी एव सदस्यगण उपस्थित रहे। बैठक का संचालन प्रदेश सचिव मनीष चौहान ने किया व आभार भावेश चौहान द्वारा किया गया।



ऐआई से नकली शराब बनाने का तरीका सीखा

देवास।

मध्य प्रदेश के देवास जिले में 13 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। अब इस मामले में पुलिस ने नकली शराब बनाने और सप्लाई करने वाले नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी अजय राठौर ने ऐआई की मदद से नकली शराब बनाने का तरीका सीखा। इसके बाद इंदौर के दवा बाजार से केमिकल मंगवाया और पुरानी बोतलों में केमिकल व पानी मिलाकर नकली शराब तैयार की।

इस मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से आठ आरोपियों को कोर्ट से तीन दिन की पुलिस रिमांड मिली है, जबकि दो आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। हालांकि, गांवों में हुई मौतों की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस ने मृतकों के विसरा और शराब की बोतलों समेत दूसरे साक्ष्य फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं।

पुलिस की जांच के मुताबिक, मुख्य आरोपी अजय राठौर ने ऐआई की मदद से नकली शराब बनाने का तरीका खोजा। इसके बाद उसने इंदौर के दवा बाजार से केमिकल मंगवाया। आरोप है कि कबाड़ियों से खरीदी गई पुरानी शराब की बोतलों में केमिकल और पानी मिलाकर नकली शराब तैयार की गई।

जांच में यह भी सामने आया कि नकली शराब को अलग से बेचने के बजाय लाइसेंसी शराब की दुकानों से जुड़ी सप्लाई में मिलाने की कोशिश की गई। असली शराब की पेटियों में नकली शराब की बोतलें मिलाकर गांवों तक पहुंचाई गईं।



2 से 7 अक्टूबर के बीच बनाई गई, 12 अक्टूबर तक बिक्री का आरोप

पुलिस की जांच के मुताबिक, 2 अक्टूबर से 6-7 अक्टूबर के बीच नकली शराब तैयार की गई। इसके बाद 7 से 12 अक्टूबर के बीच इसकी बिक्री किए जाने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि इसी नेटवर्क के जरिए शराब की बोतलें गांवों तक पहुंचीं। मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

पुलिस ने केमिकल सप्लाई करने से जुड़े इंदौर के दवा बाजार में स्थित एक गोदाम को भी सील किया है। यह गोदाम बाजार की चौथी मंजिल पर बताया गया है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि केमिकल कहां से खरीदा गया, उसे किसने सप्लाई किया और नकली शराब बनाने व बांटने में कौन-कौन शामिल था।

आठ आरोपी पुलिस रिमांड पर, दो जेल भेजे गए

मामले की जांच कर रही सिटी कोतवाली पुलिस को आठ आरोपियों का तीन दिन का पुलिस रिमांड मिला है। वहीं, दो आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क के दूसरे सदस्यों और शराब की सप्लाई से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस के सामने यह पता लगाने की चुनौती भी है कि नकली शराब किन-किन दुकानों और गांवों तक पहुंची। साथ ही यह जांच भी जरूरी है कि क्या सभी संदिग्ध मौतों का संबंध इसी शराब से था।

चंदाना और बिंजाना गांवों में हुई मौतों की जांच के लिए उज्जैन संभागायुक्त ने एक समिति गठित की है। समिति ने गांवों में पहुंचकर मृतकों के परिजनों और प्रभावित लोगों के बयान दर्ज किए हैं। समिति को 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस ने मृतकों के विसरा, शराब की बोतलों और अन्य साक्ष्यों को फॉरेंसिक साइंस लैब यानी एफएसएल में जांच के लिए भेजा है। अधिकारियों के मुताबिक, मौतों की वास्तविक वजह जांच पूरी होने और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस नकली शराब बनाने और सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है।

शिक्षा का अधिकार सिर्फ कागजों पर, दस साल में एक नवीन स्कूल का डाइसकोड नहीं ले पाए अधिकारी

पांच किलोमीटर दूर स्कूल, बीच में तालाब, स्कूल नहीं गए 40 से अधिक बच्चे





माही की गूंज, पेटलावद।

शासन स्तर पर बेटी पढ़ाओ और हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाने के चाहे जितने भी बड़े दावे किए जा रहे हों, लेकिन झाबुआ जिले की जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। पेटलावद क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोहनकोट के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोरझरिया का उकाला फलिया आज भी शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से पूरी तरह अछूता है। यहाँ के बच्चों का बचपन स्कूल की चारदीवारी में पढ़ाई करते हुए नहीं, बल्कि मवेशी चराते और मजदूरी की तरफ कदम बढ़ाते हुए गुजर रहा है।

मवेशी चराने को मजबूर बचपन

तालाब और पहाड़ी के एक तरफ लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में बसे करीब 70 घरों के इन मासूम बच्चों की सुबह कॉपी, किताब, पेन और पेंसिल के साथ नहीं होती, बल्कि उनकी सुबह गाय, बैल और बकरियों को चराने के साथ शुरू होती है। सुबह से शाम तक का उनका पूरा वक्त मवेशी चराने, खेलकूद या छोटे भाई-बहनों की देखरेख में ही बीत जाता है। कुछेक बच्चे ही किसी तरह दूर स्थित हॉस्टल या स्कूल तक पहुँच पाते हैं, जबकि बहुसंख्यक बच्चे शिक्षा के उजाले से पूरी तरह वंचित हैं।

वर्ष 2017 में शुरू हुई स्कूल और प्रशासनिक लापरवाही

स्थानीय ग्रामीणों और स्कूल के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे जनपद सदस्य वीरू भाभर के अनुसार, वर्ष 2017 में एक शिकायत के बाद तत्कालीन एसडीएम हर्षल पंचोली के निर्देशों पर यहाँ एक स्कूल शुरू किया गया था। यह व्यवस्था दो साल तक चली भी, लेकिन संस्था का डाइस कोड जारी न होने, अतिथि शिक्षक का वेतन और भवन का किराया भुगतान जैसी समस्याओं के चलते इसे बंद करना पड़ा।

करीब 700 की आबादी वाले इस फलिया में कोई भी शासकीय स्कूल भवन नहीं है। यहाँ एक आंगनबाड़ी जरूर चलती है, वह भी किराए के मकान में। इस पूरे फलिया में एकमात्र पढ़े-लिखे व्यक्ति गुलाबसिंह सिंगाड़ हैं, जो मोरझरिया में गेस्ट टीचर हैं। वर्ष 2017-18 में उन्हें ही वैकल्पिक व्यवस्था के तहत यहाँ लगाया गया था, जिसे बाद में अन्य स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया। जब से फलिये के बच्चे स्कूल नहीं गए। क्योंकि स्कूल पांच किलामीटर दूर है, बीच में तालाब भी पड़ता है जिससे ग्रामीणों को डर था कि, बच्चे किसी हादसे का शिकार न हो जाए।

सीएम हेल्पलाइन और अधिकारियों की प्रतिक्रिया

जनपद सदस्य वीरू भाभर द्वारा इस गंभीर मामले को हर जनपद बैठक में उठाए जाने और सीएम हेल्पलाइन पर आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने के बाद प्रशासन में हलचल शुरू हुई है। शिकायत के बाद मोहनकोट के प्राचार्य रामलाल कटारा, जनशिक्षक शंकरलाल मेहसन और मोरझरिया के माध्यमिक शिक्षक सुरेश पाटीदार मौके पर पहुँचे और ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान शासन की अनदेखी को लेकर ग्रामीणों और महिलाओं में भारी आक्रोश देखा गया।

शिकायत वापस लेने का दबाव

ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने के लिए कर्मचारी गाँव में आए और वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर स्कूल का संचालन फिर से शुरू किया गया है। बीआरसी रेखा गिरी ने बताया कि, फलिया में वैकल्पिक स्कूल बंद होने की जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन मामला संज्ञान में आते ही उन्होंने नई स्कूल की स्वीकृति के प्रयास किए हैं। इंजीनियर के साथ जमीन चिन्हित कर आवश्यक प्रक्रिया के लिए फाइल भोपाल भिजवा दी गई है, और वर्तमान में शुक्रवार से वैकल्पिक कक्षा का संचालन शुरू कर दिया गया है।

ग्रामीणों की दो टूकः मौखिक नहीं, स्थायी समाधान चाहिए

प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा फिलहाल वैकल्पिक तौर पर कक्षाएं लगवाने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण इस लॉलीपॉप से संतुष्ट नहीं हैं। ग्रामीणों के साथ जनपद सदस्य वीरू भाभर की दो टूक माँग है कि, उन्हें केवल मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ एक स्थाई स्कूल की स्वीकृति और उसका आधिकारिक डाइस कोड जारी किया जाए। जब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक वे अपनी शिकायत वापस नहीं लेंगे, ताकि उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय होने से बच सके।

सौगातः रायपुरिया से बरवेट होकर सारंगी, करवड़ मार्ग का निर्माण कार्य शुरू

माही की गूंज, बरवेट। जगदीश प्रजापत

ग्रामीण स्तर पर सड़कों के चौड़ीकरण और नए निर्माण होने से यहां के लोगों को रोजगार के अवसर, सुगम यातायात, समय और ईंधन की बचत के साथ-साथ बड़े शहरों से आसान सीधा जुड़ाव भी हो जाएगा। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार से रायपुरिया, बरवेट, सारंगी, करवड़ मार्ग का चौड़ीकरण के लिए 52 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 25 किलोमीटर मार्ग के चौड़ीकरण की स्वीकृति मिल गई है। जिसका रोड मैप के लिए ठेकेदार ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। पिछले दो दशक से इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग चल रही थी, जिसका पिछले विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र की दर्जनों पंचायतों के ग्रामीणों प्रमुख मुद्दा बनाया था। जिसके अनुरूप केबिनेट मंत्री भूरिया से इस मुद्दे को प्रमुखता से लेकर सड़क चौड़ीकरण की स्वीकृति दिलवाई और धरातल पर इसका कार्य प्रारंभ हो गया। इसको लेकर क्षेत्र में हर्ष व्याप्त है।

जाम और दुर्घटनाओं से मुक्ति

ग्राम बरवेट के भाजपा नेता संजय परमार ने बताया कि, पहले संकरी और जर्जर सड़क होने के कारण बार-बार जाम और दुर्घटना का अंदेशा बना रहता था। अब सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण से ट्रैफिक सुचारू होगा, जिससे जाम और सड़क हादसों पर प्रभावी रोक लगती है।

ग्राम टांडा लाला नायक, किसान मोहनलाल बंजारा ने बताया कि, इस 25 किलोमीटर जैसी महत्वपूर्ण सड़क का चौड़ीकरण होने से दूरी का सफर आसान होगा, साथ ही ग्रामीणों का कीमती समय बचेगा और वाहनों में ईंधन की खपत भी कम होगी। ग्राम पंचायत बरवेट के पंच अनिरुद्ध सिंह राठौर ने बताया कि, या 25 किलोमीटर नई और पक्की सड़क बनने से ग्रामीण क्षेत्रों की पहुंच नजदीकी बाजारों, स्वास्थ्य केंद्रों (अस्पतालों) और शैक्षणिक संस्थानों (स्कूलों-कॉलेजों) तक आसान हो जाता है। साथ ही गुजरात राज्य से दर्शनार्थी महाकाल लोक और मालवा क्षेत्र से विश्व प्रसिद्ध श्री विश्वमंगल हनुमान धाम तारखेड़ी दर्शन के लिए जाने के लिए यही सुगम और शार्ट कट मार्ग है। जिसके चौड़ीकरण होने से लब मिलेगा। किसानों को लाभ को लेकर ग्राम बरवेट के किसान ओमप्रकाश पटेल ने बताया कि, बरवेट क्षेत्र की दर्जनों ग्राम पंचायत के किसान सब्जी उत्पादन करते है। किसानों को अपनी सब्जी को रतलाम उज्जैन और दाहोद मंडी ले जाने में कोई दिक्कत नही होगी।

लोकनिर्माण विभाग झाबुआ दिलीप लथुरिया ईई ने बताया कि, लोकनिर्माण विभाग द्वारा निर्मित रायपुरिया, बरवेट, करवड़ 25 कोलोमिटर मार्ग 52 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। जिसके निर्माण के लिए स्वीकृति मिल गई है। ठेकेदार द्वारा रोड मैप के लिए लेवलीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। दीपावली के बाद कार्य में तेजी आएगी।



खवासा-बामनिया मार्ग पर चूने से भरा ट्रक पलटा



माही की गूंज, खवासा।

खवासा-बामनिया मार्ग पर मंगलवार रात चूने से भरा एक आइशर ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद मार्ग पर कुछ देर के लिए हलचल का माहौल बन गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक चालक को नींद की झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ।

खवासा पुलिस चौकी पर पदस्थ शेरसिंह से मिली जानकारी के अनुसार, एमपी 13 झेटआर 9109 जो आइशर ट्रक है और चूने से भरा ट्रक कुशलगढ़ से पेटलावद की ओर जा रहा था। इसी दौरान खवासा-बामनिया मार्ग पर चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया।

घटना की जानकारी सामने आने के बाद हादसे को लेकर क्षेत्र में चर्चा रही। रात के समय वाहन चलाते वक्त चालक को नींद आना सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण बन सकता है। ऐसे में वाहन चालकों को लंबी दूरी की यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने और थकान महसूस होने पर वाहन रोककर आराम करने की आवश्यकता है। फिलहाल हादसे में किसी के घायल होने जेसी कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई।

जिला थोक उपभोक्ता भंडार की चरमराई व्यवस्था, आमजन का चुल्हा जलना मुश्किल मे

त्यौहार सर पर और गैस टंकी मिलने के ठिकानें नहीं, कई तारीखों की वेटिंग कन्फर्म होने के बाद भी केंसिल हो गई, उपभोक्ताओं को सूचना तक नहीं





माही की गूंज, झाबुआ।

जिला थोक उपभोक्ता भंडार इन दिनों अपने उपभोक्ताओं को गैस के आंसू रूला रहा है। त्यौहारों का सीजन सर पर है और जिला मुख्यालय पर गैस की किल्लत सामने आ रही है। उपभोक्ता जिला थोक उपभोक्ता भंडार की चरमराई व्यवस्था पर सवाल उठा रहे है। वहीं जिला थोक उपभोक्ता भंडार के बुकिंग ऑफिस के कर्मचारी बार-बार गाड़ी आने का हवाला दे रहे है। मगर जिला मुख्यालय पर यह स्थिति है कि उपभोक्ता भंडार के सामने सुबह होते ही लंबी-लंबी कतारे देखी जा रही है।

उपभोक्ता कही वेटिंग को लेकर परेशान है तो कहीं गैस टंकी नहीं मिल पाने को लेकर परेशान है। लोगों का कहना है कि, त्यौहार सर पर है और जिले में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर मारा-मारी मची हुई है। गैस टंकी लेने के लिए भारी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई कर्मचारी, नौकरी पैसा लोग और मध्यमवर्गीय व्यापारी अपने काम धंधे छोड़कर गैस टंकी के लिए जद्दो जहद करते दिखाई दे रहे है। कई लोग अपने लंच टाईम में लंच करने की बजाय उपभोक्ता भंडार के बाहर लाइन में लगे दिखाई दिए। लोगों का कहना था कि नौकरी करें या गैस की टंकी के लिए लाइन लगाए। लंच टाईम एक घंटे का होता है और जिला उपभोक्ता भंडार के बाहर दो से तीन घंटे लाइन में लगे हो जाते है। बावजूद इसके इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि गैस टंकी मिल ही जाएगी।

कई उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्होने करीब 10 से 12 दिन पहले गैस टंकी के लिए वेटिंग लगा दी थी। जब इतने दिनों तक गैस टंकी की डिलेवरी घर तक नहीं पहुंची तो हमें मजबूरन जिला थोक उपभोक्ता भंडार आना पड़ा। यहां आकर मालूम हुआ कि आपकी वेटिंग कैंसिल हो चुकी है। हमने सवाल किया कि इसका जिम्मेदार कौन? हमने तो सही वेटिंग लगाई थी और हमारे मोबाइल पर इसका ओटीपी भी आया था। अगर हमारी वेटिंग कैंसिल कर दी गई तो फिर हमेश इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? यह हालात किसी एक उपभोक्ता के नहीं है। कई तारीखों में हुए वेटिंग पूरी तरह से कैंसिल कर दिए गए। पूछने पर पता चला कि 16 तारीख के तमाम वेटिंग कैंसिल कर दिए। इसी तरह कुछ उपभोक्ताओं ने 21 तारीख को वेटिंग लगाए थे वे भी पूरी तरह से कैंसिल कर दिए गए। मगर जिन उपभोक्ताओं के वेटिंग कैंसिल हुए उन्हे किसी तरह की कोई जानकारी जिला थोक उपभोक्ता भंडार द्वारा नहीं दी गई। ना ही मोबाईल से और ना ही एसएमएस के जारिए। स्थिति यह बनी कि जिन तारीखों की वेटिंग कैंसिल हुई उस तारीख में वेटिंग लगाने वाले उपभोक्ता मुगालते में ही रह गए कि आज नहीं तो कल गैस टंकी घर आ ही जाएगी। इसे जिला थोक उपभोक्ता भंडार झाबुआ की एक तरह की खुली धोखाधड़ी भी कही जा सकती है। क्योंकि बिना किसी सूचना के जिला थोक उपभोक्ता भंडार झाबुआ ने कई तारीखों में कई उपभोक्ताओं की वेटिंग खुद से ही कैंसिल कर दी और उन्हे इस संबंध में कोई जानकारी तक नहीं दी गई।

हालात यह है कि जो लोग 8 दिन, 10 दिन या 12 दिन पहले वेटिंग लगा चुके थे, वेटिंग भी कन्फर्म हो चुकी थी बावजूद इसके अब वे ही लोग जिला थोक उपभोक्ता भंडार के बाहर घंटों लाइनों में गुजार रहे है। मुश्किल यह है कि अगर लाइनों में नहीं लगे तो गैस की टंकी ही नहीं मिलेगी और इधर त्यौहार बिल्कुल करीब आ चुके है। ऐसे में अगर टंकी नहीं मिली तो त्यौहारों का मजा बिगड़ जाएगा और काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

पुरानी तारीखों में वेटिंग लगा चुके लोग टंकी घर नहीं पहुंचने के चलते जिला थोक उपभोक्ता भंडार झाबुआ पर पहुंच रहे है मगर उन्हे निराशा ही हाथ लग रही है। मंगलवार को भी यहां भारी भीड़ देखी गई। मंगलवार को जिला थोक उपभोक्ता भंडार के बाहर एक नोटिस चस्पा किया गया था जिसमें यह लिखा था कि आज पर्ची कटाने वालों को कल बुधवार को गैस गोडाउन से टंकी मिलेगी। मगर बुधवार को एक नया नोटिस जिला थोक उपभोक्ता भंडार के बाहर चस्पा मिला। जिस पर लिखा था कि '' सभी उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 28-10-2026 बुधवार को लिंक फैल होने के कारण रसीद नहीं प्रदाय की जाएगी। उपभोक्ताओं से निवेदन है कि धैर्य एवं सयम बनाए रखना है।'' अब जो लोग दो या तीन दिन से गैस टंकी के लिए भटक रहे थे वे सुबह-सुबह इस नोटिस को देखकर भारी आक्रोश में दिखाई दिए।

लोगों का कहना था कि, गैस टंकियां तो आ रही है लेकिन जिला थोक उपभोक्ता भंडार की व्यवस्थाएं चरमरा गई है। जिससे यह समस्याएं उपज रही है। अक्सर देखने में आात है कि जिला थोक उपभोक्ता भंडार पर आए दिन कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती है। मगर उपभोक्ताओं को इसी तरह की कोई जानकारी नही मिलती। जब जिला थोक उपभोक्ता भंडार पर पहुंचते है तो मालूम होता कि इस तरह की समस्या है।

अब तो हद ही हो गई कि जिन उपभोक्ताओं ने वेटिंग लगाए हुए थे, वेटिंग कन्फर्म होने के साथ उनके मोबाईलों पर ओटीपी भी आ चुके थे, लंबे समय से यह लोग गैस टंकी की घर पर डिलेवरी का इंतजार कर रहे है। अब यहां आने के बाद यह कहा जा रहा है कि आपके वेटिंग कैंसिल हो चुके है। जबकि जिला थोक उपभोक्ता भंडार ने इसकी सूचना पहले किसी को भी क्यों नहीं दी। जिन लोगों के वेटिंग कैंसिल हुए थे अगर उन्हे पूर्व में सूचना मिल जाती तो वे फिर से अपनी वेटिंग लगा लेते। मगर जिला थोक उपभोक्ता भंडार ने वेटिंग कैंसिल होने की कोई सूचना या जानकारी उपभोक्ताओं को नहीं दी। अब आलम यह है कि उपभोक्ता तो परेशान हो ही रहे है साथ में इतनी भीड़ के कारण जिला थोक उपभोक्ता भंडार के कर्मचारी भी परेशान हो रहे है।

कुल मिलाकर जिला थोक उपभोक्ता भंडार झाबुआ की घरेलू गैस वितरण प्रणाली की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई दिखाई दे रही है और इधर त्यौहार लगभग सर पर है। लोगों को अब इस बात की चिंता सता रही है कि अगर टंकी नहीं मिली तो त्यौहारों के इस सीजन में कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी।

संपादकीय

स्रोत हो सुरक्षित ताकि गलत कामों का पर्दाफाश हो सके



पत्रकारिता के पेशे में मीडियाकर्मी का नैतिक दायित्व होता है कि वह किसी खोजपूर्ण खबर में सहायक स्रोत की सुरक्षा और विश्वास को कायम रख सके। अपने गोपनीय स्रोत की सुरक्षा का वायदा सुनिश्चित करना महज एक पेशेवर शिष्टाचार नहीं है, सही मायने में यह खोजी पत्रकारिता की बुनियाद भी है। यदि जनहित के लिए महत्वपूर्ण गोपनीय सूचना देने वाले का भरोसा खत्म होगा तो भ्रष्टाचार और जन-विरोधी कार्यों में लिप्त लोगों के गलत कार्यों का खुलासा करने वाले लोग आगे नहीं आएंगे। यानी व्हिसलब्लोअर किसी गंभीर कदाचार आदि के मुद्दे पर चुप्पी साध सकते हैं। यदि सूचना स्रोत की गोपनीयता भंग होती है, तो गलत कामों के वास्तविक तथ्य कभी भी सामने नहीं आ पाएंगे। बहुत संभव है कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र के हित में, जनता को जानने योग्य जरूरी जानकारी से वंचित होना पड़ सकता है। इस विषय के महत्व की गंभीरता के चलते ही देश के सर्वोच्च न्यायालय में देश के 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट' यानी डीपीडीपी को चुनौती दी गई। जिसने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सार्वजनिक विमर्श में ला दिया है। यही वजह है कि डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन ने चेताया है कि इस कानून के प्रावधान किसी मीडियाकर्मी के गोपनीय स्रोतों को सार्वजनिक कर सकते हैं। जो स्वतंत्र समाचार संग्रहण और इस बाबत जांच-पड़ताल में बाधक साबित हो सकते हैं। इस समस्या का चिंताजनक पहलू यह भी कि सरकार के पास नागरिकों की निजी सूचना एकत्र करने वाली संस्थाओं से जानकारी हासिल करने के अधिकार हैं। जिससे उन लोगों की पहचान उजागर हो सकती है जो भरोसे के चलते ही पत्रकारों के पास आते हैं। निश्चय ही किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी बंदिशें लादने से मीडिया की स्वतंत्रता पर आंच आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद, कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बाबत जवाब मांगा है। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 17 नवंबर तय की है।

इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि आज की तेजी से डिजिटल होती दुनिया में निजता की सुरक्षा बनाये रखना बहुत आवश्यक है। निस्संदेह, नागरिकों को उनकी निजी जानकारी का दुरुपयोग होने से बचाया जाना बेहद जरूरी है। साथ ही यह भी जरूरी है कि निजता की सुरक्षा के लिये बनाया गया कोई कानून प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ताधीशों के लिये ऐसा जरिया नहीं बन जाना चाहिए, जो तथ्यों की तलाश व जांच-पड़ताल में बाधक बने। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि शासन-प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और कॉर्पोरेट में होने वाली गड़बड़ियों की पड़ताल अकसर ऐसे लोगों पर निर्भर करती है, जो बड़े निजी जोखिम को उठाकर भी वास्तविक तथ्य देश व समाज हित में बताने को राजी होते हैं। ऐसे में यदि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना उनकी पहचान उजागर हो जाती है तो पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर इसका व्यापक प्रतिकूल असर पड़ सकता है। फिर जोखिम उठाकर सूचना देने वाले लोग, ऐसा करने से कतराने लगते हैं। इससे जुड़ा एक वास्तविक पहलू यह भी है कि अपने स्रोत की सुरक्षा का अधिकार पत्रकारों को बिना किसी जवाबदेही के काम करने की छूट नहीं देता है। लेकिन यदि कोई अपवाद सामने आता है तो उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। उसका सार्वजनिक होना बेहद जरूरी है। वहीं उसकी स्वतंत्र न्यायिक निगरानी होनी चाहिए। ऐसे में न्यूजरूम के रिकॉर्ड तक बिना किसी रोक-टोक के पहुंच होने से, स्रोत की सुरक्षा और जनता के जानने के अधिकार को नुकसान पहुंच सकता है। देश की शीर्ष अदालत से उम्मीद की जाती है कि बहुत सावधानी से निजता और प्रेस की आजादी के बीच संतुलन बनाया जाए। यदि वास्तविक पत्रकारिता के कार्यों के लिये स्पष्ट छूट दी जाती है, और साथ ही गोपनीय स्रोत के उजागर होने से रोकने के लिये सुरक्षा उपाय भी हों, तो इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कानून जनहित से जुड़ी रिपोर्टिंग में बाधा न बनेगा।

ब्राजील और सार्बिया में जनादेश के गहरे निष्कर्ष



भाषा सिंह

अ स सी साल के लूला दा सिल्वा ने एक बार फिर ब्राजील में चुनावी जीत हासिल करके अपना चौथा राष्ट्रपति कार्यकाल सुनिश्चित कर लिया है। उन्होंने जिस तरह से दक्षिणपंथी फ्लावियो बोल्सोनारो को हराया, वह अपने आप में रिकॉर्ड है। वह लातिन अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जो चुनाव के पहले दौर में पीछे होने के बाद, सेकेंड राउंड में जीत गए। उनकी जीत से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गहरा झटका लगा है। उधर, सर्बिया में छात्रों ने जिस तरह से चुनावी जीत हासिल करके सत्ता पर कब्जा जमाया है, उसने एक विश्वव्यापी सनसनी पैदा कर दी है। पिछले 12 साल से सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच को छात्र आंदोलन से जुड़ी पार्टी स्टूडेंट लिस्ट ने हरा दिया है, और वुचिच ने अपनी हार स्वीकार भी कर ली है। ये दोनों घटनाक्रम ऐतिहासिक हैं और विश्व कूटनीति पर इनका दूरगामी असर पड़ेगा।

सर्बिया में पिछले दो साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का जुझारू आंदोलन चल रहा था, जिसे कंट्रोल करने व दबाने की हर संभव कोशिश वुचिच की सरकार ने की, लेकिन फिर ये छात्र स्टूडेंट लिस्ट पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरे और मौजूदा राष्ट्रपति को हरा दिया। ब्राजील और सर्बिया की सड़कों पर जश्न का माहौल है, जिसमें बड़ी संख्या में नौजवान शामिल हैं। ब्राजील में लूला ने अपनी जीत के लिए खास तौर से देश के नौजवानों का शुक्रिया अदा करके एजेंडा सेट करने की कोशिश भी की है। वामपंथी लूला को कुल वोटों का 51.79 फीसदी और उनके प्रतिद्वंद्वी फ लाविया बोल्सोनारो को 48.21 फीसदी वोट मिले, दोनों के बीच लगभग 44 लाख वोटों का अंतर दर्ज किया गया।



ब्राजील में लूला की जीत से दुनियाभर के पर्यावरणविदों को राहत मिली है, क्योंकि इससे दुनिया के फेफड़े कहे जाने वाले अमेजन रेनफॉरेस्ट को बचाने में मदद मिलेगी। दुनिया का सबसे सघन और सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला जंगल है अमेजन, जिसे काटने पर आमादा हैं ट्रंप और उनके समर्थित बोल्सोनारो। लूला से पहले ट्रंप के दोस्त पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति थे और उन्होंने अमेजन जंगल काटने वाली परियोजना को हरी झंडी दी थी, जिसका कड़ा विरोध हुआ था। इस बार उनके 45 वर्षीय बेटे फ्लावियो बोल्सोनारो राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, क्योंकि उनके पिता पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो जेल में बंद हैं। लिहाजा लूला की जीत से अमेजन रेन जंगल को काटने की प्रक्रिया जो रुकी थी, वह बनी रहेगी। साथ ही, ब्राजील में रेयर अर्थ और नियोबियम जैसे रणनीतिक खनिजों का भंडार है। अमेरिका और खासतौर से ट्रंप इन्हें अपने रक्षा उद्योग के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके लिए लूला सबसे बड़े रोड़े साबित हुए। लूला चाहते हैं कि इन संसाधनों पर ब्राजील का नियंत्रण रहे और वे अपनी शर्तों और जरूरत के हिसाब से दूसरे देशों को बेचें।

वैसे भी लूला की जीत का महत्व सिर्फ ब्राजील तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसका प्रभाव लातिन अमेरिका के देशों की राजनीति पर पड़ेगा, साथ ही अमेरिका और ट्रंप के वर्चस्व को भी चुनौती मिलेगी। लूला की जीत निश्चित तौर पर ब्रिक्स को और मजबूत करेगी और विश्व राजनीति को ज्यादा संतुलित करेगी। लातिन अमेरिका के देशों में अमेरिका ने पिछले कुछ समय में अपना दबदबा कायम किया, जिसमें वेनेजुएला पर कब्जा अहम है। लातिन अमेरिका के कई देशों में दक्षिणपंथी नेताओं ने चुनावी सफलता हासिल की, जिन्हें ब्राजील ने पिछले चुनावों में भी परास्त किया और इस बार भी। अब ये जीत पूरे क्षेत्र में वामपंथी और सामाजिक कल्याण, युवाओं के अधिकारों का समर्थन करने वाली राजनीति को नया जीवन देने वाली साबित होगी। यह बात एकदम साफ है कि ब्राजील में लूला को हराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत जोर लगाया। इसमें दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति एलन मस्क की भूमिका भी संदिग्ध रही। मेटा की भूमिका पर भी सवाल उठे और लूला ने जीत के बाद तुरंत इस ओर इशारा भी कर दिया। वैसे भी लूला और ट्रंप के बीच व्यापार, टैरिफ और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर कड़ा टकराव जगजाहिर रहा है, जो अब ऐलानिया तौर पर और बढ़ेगा। वैसे भी लूला ब्राजील की स्वतंत्र विदेश नीति, स्वतंत्र टेक्नोलॉजी के पक्षधर रहे हैं।

भारत और ब्राजील दोनों ब्रिक्स और जी20 जैसे मंचों के सदस्य हैं। लूला के दोबारा राष्ट्रपति बनने से इन क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने की निरंतरता मिल सकती है। चूंकि लूला विश्व व्यापार को डॉलर-मुक्त करने के लिए कोशिश करते रहे हैं। ब्रिक्स के जरिए उन्होंने इसके पक्ष में जबर्दस्त बैटिंग की, अब उनके ये प्रयास और तेज होंगे। इस मांग में चीन व रूस भी ब्राजील के साथ खड़े हैं, इसीलिए उनकी जीत से खलबली मची हुई है। दरअसल, जो लोग विश्व राजनीति के बहुध्रुवीय बनाने की इच्छा रखते हैं, वे लूला की जीत का जश्न मना रहे हैं।

उधर सर्बिया की जीत ने विश्व मानचित्र पर लिख दिया कि छात्रों की राजनीति, उनके आंदोलन कैसे राजनीति में बड़े बदलाव ला सकते हैं। सर्बिया के छात्रों ने दो साल में जैसे राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच को हराया, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। स्टूडेंट लीड पार्टी, जिसका जन्म दो साल से भी कम समय पहले हुआ था, उसने रिकॉर्ड जीत हासिल करके सत्ता के तमाम समीकरणों को बदल दिया है। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि नवंबर 2024 में सर्बिया के नोवी साद रेलवे स्टेशन का शेड गिरने और उससे 16 लोगों की हुई मौत के खिलाफ जो छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था, उसने इतने जमे-जमाए राष्ट्रपति वुचिच को सत्ता से उखाड़ फेंका और वह भी पूरी तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के जरिए।

दरअसल, धीरे-धीरे जिस तरह से ये आंदोलन सरकार, सरकारी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर खड़ा हुआ, उसने सत्ता परिवर्तन की राह खोली। ये बात याद रखने वाली है कि वुचिच और उनकी सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी 2012 से सर्बिया की राजनीति में प्रमुख दल रहे हैं। पहली बार उनकी पार्टी सत्ता से इस तरह बेदखल की गई। जिस तरह से पूरे सर्बिया के हर कोने में जीत का जश्न है, युवाओं में उत्साह है, वह एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। स्टूडेंट लिस्ट के नेता इलिया सरदानोविच ने अपनी पूरी टीम के साथ जिस राजनीतिक परिपक्वता से इस पूरे आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखा और बिल्कुल सही समय पर एक राजनीतिक पार्टी का गठन कर इसे एक वैकल्पिक प्लेटफॉर्म में बदला, वह कई देशों में चल रहे युवाओं के आंदोलन को दिशा दे सकता है।

फिलहाल ब्राजील में लूला की जीत और सर्बिया में छात्रों की जीत ने विश्व राजनीति में बड़ी खलबली के संकेत दिए हैं।

आतिशबाजी, कानून और पर्यावरण का संतुलन

तेजी से बढ़ते शहरीकरण, बदलते जनसांख्यिकीय स्वरूप और वायु गुणवत्ता सूचकांक के खतरनाक स्तर तक पहुंचने के कारण पटाखों की गूंज खुशियों के बजाय स्वास्थ्य संबंधी संकट और पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाने लगी है।

उत्सव का यह उल्लास जब हवा में विषैले कणों का जहर घोलने लगे और रात के सन्नाटे में शोर का स्तर मानक सीमा से परे चला जाए, तब मौलिक अधिकारों, सांस्कृतिक परंपराओं और राज्य के संवैधानिक दायित्वों के बीच एक गंभीर कानूनी व नैतिक द्वंद्व उत्पन्न होता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने और स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरण का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। वर्ष 1991 के ऐतिहासिक वाद 'सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य' में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि जीने के अधिकार में प्रदूषण-मुक्त जल और वायु का अधिकार भी शामिल है।

वहीं दूसरी ओर, संविधान का अनुच्छेद 25 नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने व आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। न्यायालयों ने प्रतिपादित किया है कि कोई भी धार्मिक परंपरा जनस्वास्थ्य और जनसामान्य के जीवन को संकट में नहीं डाल सकती।

पर्यावरण न्यायशास्त्र और वैधानिक तंत्र के विकास में 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986' की धाराओं 3 व 5 और 'वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981' की धारा 19 के तहत केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को पटाखों के अत्यधिक उत्सर्जन पर आपातकालीन निर्देश जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, नवप्रवर्तित 'भारतीय न्याय संहिता, 2023' की धाराएं वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने वाले कृत्यों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधान प्रदान करती हैं।



वर्ष 2005 में 'इन री-नॉइज़ पोल्यूशन' मामले में उच्चतम न्यायालय ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक भारी आवाज वाले पटाखों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक आदेश दिया था। इसके पश्चात 'अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ (2018)' के ऐतिहासिक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने पारंपरिक पटाखों के निर्माण और बिक्री पर देशव्यापी अंकुश लगाते हुए केवल 'ग्रीन क्रैकर्स' यानी हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति दी।

इस फैसले में अदालत ने अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत व्यापार करने के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के बीच संवैधानिक संतुलन बनाते हुए कहा कि पटाखों का निर्माण करने का व्यावसायिक अधिकार जनसामान्य के जीने और सांस लेने के अधिकार के सामने गौण है। जब भी वाणिज्यिक हित और जनस्वास्थ्य का टकराव होगा, तब जनस्वास्थ्य को ही सर्वोच्च वरीयता दी जाएगी।

ट्रिब्यूनल ऑन इट्स ओन मोशन बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (2020)' के महत्वपूर्ण मामले में एनजीटी ने आदेश दिया कि जिन शहरों या कस्बों में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक 'खराब' दर्ज किया जाता है, वहां पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल उन्हीं क्षेत्रों में, जहां एक्यूआई 'मध्यम' या उससे बेहतर स्थिति में है, सीमित समय के लिए सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति दी जा सकती है।

ग्रीन क्रैकर्स पारंपरिक पटाखों की तुलना में 30 से 35 प्रतिशत तक कम कणिकीय पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। पटाखों का एक गंभीर दुष्प्रभाव 'क्रॉस-पॉल्यूशन' भी है। पटाखों के फटने के बाद रासायनिक अवशेष और विषैली धातुएं हमारे भोजन और पानी की शृंखला में प्रवेश कर जाती हैं। जब इस बारूदी कचरे को खुले में जलाया या फेंका जाता है, तो यह मिट्टी और जल निकायों को बुरी तरह प्रदूषित करता है। इसके अतिरिक्त, आतिशबाजी का तीव्र शोर शहरी जीवों व पशु-पक्षियों में गंभीर मानसिक व शारीरिक आघात का कारण बनता है, जो पशु क्रूरता निवारण एवं पर्यावरण संबंधी नियमों का सीधा उल्लंघन है।



डॉ. सुधीर कुमार

पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन और सामाजिक चेतना में व्यापक बदलाव लाना आवश्यक है। सर्वप्रथम, ग्रीन क्रैकर्स के नाम पर बाजार में बिक रहे फर्जी पटाखों पर रोक लगाने के लिए क्यूआर कोड-आधारित सत्यापन प्रणाली को अनिवार्य किया जाना चाहिए। द्वितीय, राज्य सरकारों को सामुदायिक आतिशबाजी को बढ़ावा देना चाहिए। तृतीय, पटाखों के निर्माण में लगे कारीगरों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए उन्हें हरित आतिशबाजी तकनीक या अन्य उद्योगों में पुनर्कौशल प्रदान कर पुनर्वासित करने की राष्ट्रीय योजना बननी चाहिए।

कृषि मॉडल में बदलाव से ही टिकाऊ समाधान



इंद्रजीत सिंह

वर्ष 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुए छह दशक से अधिक समय बीत चुका है। इसी दौर में 1966 में हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। गठन के बाद हरियाणा में बुनियादी ढांचा विकास को प्राथमिकता दी गई व हरित क्रांति को प्रोत्साहन मिला। इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन व उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

समय के साथ हरित क्रांति के विकास मॉडल की सीमाएं उजागर होने लगीं। कृषि उत्पादन में वृद्धि की संभावनाएं सिमटने लगीं तथा कई तरह के नकारात्मक परिणाम भी सामने आए। असल में तो हरित क्रांति का उद्देश्य ही पर्याप्त भूमि सुधारों के बिना कृषि क्षेत्र व फसलों का बाजारीकरण करना था। ये अलग बात है कि इससे फायदा हुआ। वर्ष 1990 के दशक में नव-उदारवादी और कॉर्पोरेट समर्थक नीतियां अपनाने के बाद कृषि संकट और गहरा गया। आज कृषि क्षेत्र को एक ऐसे वैकल्पिक विकास मॉडल की जरूरत है जो किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा भी कर सके।

रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भारत के मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस, 2021 के मुताबिक हरियाणा की 3.64 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि क्षरण व और मरुस्थलीकरण की समस्या से प्रभावित थी।

भूजल का तेजी से गिरता स्तर, सिंचाई की दोषपूर्ण पद्धतियां और गेहूं-धान का एकांगी फसल चक्र कृषि की स्थिरता के सामने गंभीर चुनौती बन गए हैं। इसके अतिरिक्त, गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण खेती का क्षेत्रफल भी घट रहा है। उपजाऊ कृषि भूमि का इस तरह लगातार कम होना खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका के लिए चिंताजनक है।

जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौती कृषि संकट को और गंभीर बना रही है। बेमौसम बारिश, अत्यधिक गर्मी और अन्य चरम मौसमी घटनाओं से फसलों को बार-बार नुकसान हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की किसानों को राहत देने में प्रभावशीलता पर भी सवाल उठे हैं।

इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि खेती की बढ़ती लागत के अनुरूप नहीं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अर्थशास्त्र विभाग के हालिया अध्ययनों में किसानों को होने वाले नुकसान की गंभीर तस्वीर सामने आई है। खरीफ फसलों की वर्कशाप में जानकारी दी गई कि धान की पीआर किस्म की खेती में किसान का प्रति एकड़ घाटा करनाल में 4285 रुपये आंका गया। बीटी कपास में किसान को प्रति एकड़ औसत घाटा 15,143 रुपये था, जबकि मक्का की खेती में 1229 रुपये प्रति एकड़ रहा।



कपास जैसी महत्वपूर्ण फसल की काश्त की स्थिति तो और भी तेजी से गिरावट पर है। वर्ष 2025-26 में ही कपास के रकबे में 2.82 लाख हेक्टेयर की गिरावट दर्ज की गई। पिछले सात वर्षों में कपास की खेती के क्षेत्रफल में 65 प्रतिशत की कमी आई है। इसका एक प्रमुख कारण बी टी कपास पर गुलाबी सूंडी के प्रकोप से फसल बर्बादी है।

बहरहाल, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, कुपोषण, भूमिहीनता, कर्ज और बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ी हैं। खाद की कमी, मंडी में फसल बेचने की दिक्कतें और खरीद संबंधी बाधाएं अब किसानों के विरोध-प्रदर्शनों के प्रमुख मुद्दे हैं। हरियाणा और पंजाब में कृषि का मौजूदा मॉडल अब टिकाऊ नहीं रहा। यह स्थिति छोटे और सीमांत किसानों के लिए अधिक संकटपूर्ण है। हरियाणा में छोटे और सीमांत किसान कुल कृषि परिवारों का लगभग 70 प्रतिशत हैं। इनकी समस्याओं की अनदेखी की तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाए रखना कठिन हो सकता है। इसके साथ ही कुछ जानकारों की चर्चाओं में सामने आया कि सरकारी खरीद व्यवस्था लगातार कमजोर हुई है। यह भी कि भंडारण क्षमता के निवेश में लगातार कमी की गयी। निजी क्षेत्र को भंडारण क्षेत्र में अनुमति देने का खमियाजा किसानों और कृषि मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। वे मनमर्जी से बाजार को संचालित करेंगे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली कमजोर हो जाएगी। इस संकट से उबरने के लिए एक व्यापक, किसान-हितैषी और टिकाऊ वैकल्पिक कृषि नीति अपनाना समय की मांग है। तत्काल राहत के लिए उन किसानों के कर्ज माफ किए जाने चाहिए जो उन्हें चुकाने में असमर्थ हैं, खेती की लागत कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुरूप सी 2+50 प्रतिशत के फार्मूले पर न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण पर प्रभावी रोक लगे।

कृषि संकट के स्थायी समाधान के लिए ऐसी वैकल्पिक कृषि नीति की आवश्यकता है जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करे, फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे, लागत खर्च घटाए, कीट रोधक व चरम मौसम को झेलने वाले नए बीजों और अन्य अनुसंधानों को प्राथमिकता दें। कृषि को कार्पोरेट उन्मुखी करके केवल मुनाफे के नजरिये से नहीं बल्कि किसानों की आजीविका, ग्रामीण रोजगार, पर्यावरणीय संतुलन और खाद्य सुरक्षा के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। विकसित देशों से खासकर कृषि क्षेत्र संबंधी, मुक्त व्यापार समझौतों से बचें।

एक टिकाऊ और प्रभावी वैकल्पिक कृषि नीति बनाने के लिए किसान संगठनों, कृषि वैज्ञानिकों, संबंधित सरकारी विभागों, पर्यावरणविदों और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

सिर पर डोडाचूरा ढो रहीं 4 महिलाएं गिरफ्तार

माही की गूंज, रतलाम।

खेत के कच्चे रास्ते पर सिर पर डोडाचूरा से भरे कट्टे रखकर जा रही चार महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 60 किलो 750 ग्राम डोडाचूरा जब्त किया गया। चारों महिलाएं झाबुआ जिले की रहने वाली हैं।

पुलिस के अनुसार, महिलाएं डोडाचूरा रतलाम से झाबुआ होते हुए गुजरात ले जाने की तैयारी में थीं। पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने आलोट क्षेत्र के ग्राम पिपलिया पिथा से गोपाल मालवीय से डोडाचूरा लिया था। पुलिस ने गोपाल के विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

कट्टों की तलाशी में बरामद हुआ अवैध मादक पदार्थ

आलोट थाने के सब इंस्पेक्टर आरसी खड़िया को सोमवार दोपहर मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम पिपलिया सिसोदिया की ओर से चार महिलाएं प्लास्टिक के कट्टों में डोडाचूरा लेकर खेतों के रास्ते आलोट रोड की तरफ आ रही हैं। वे बस पकड़कर बाहर जाने की तैयारी में हैं। सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और पुलिस टीम गठित की गई।

टीम ने पिपलिया सिसोदिया रोड पर खेतों से आलोट रोड की ओर आने वाले कच्चे रास्ते पर घेराबंदी की। इस दौरान सिर पर कट्टे रखकर आ रही चारों महिलाओं को रोककर पूछताछ की गई। कट्टों की तलाशी लेने पर उनमें डोडाचूरा मिला। मौके पर तौल करने पर कुल वजन 60 किलो 750 ग्राम निकला।

झाबुआ जिले की निवासी हैं चारों महिलाएं

पुलिस ने 35 वर्षीय रेवा पत्नी भूरा कलारा, निवासी ग्राम कालिया बीरन, थाना मेघनगर; 38 वर्षीय ललिता पत्नी दिनेश बारिया, निवासी ग्राम राखड़िया, थाना मेघनगर; 40 वर्षीय रमिला पत्नी परसू वसुनिया, निवासी ग्राम सालामहुड़ा, थाना कल्याणपुरा और 40 वर्षीय सन्नु पत्नी बाबू निनामा, निवासी सैलानी मोहल्ला, मेघनगर, जिला झाबुआ को गिरफ्तार किया है। चारों के विरुद्ध आलोट थाने में एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। सोमवार देर शाम कार्रवाई के बाद मंगलवार दोपहर उन्हें न्यायालय में पेश किया जाना है।



पहले भी तस्करी के आरोप में जेल जा चुकी हैं आरोपित महिलाएं

पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि महिलाओं ने आलोट क्षेत्र के ग्राम पिपलिया पिथा निवासी गोपाल मालवीय से डोडाचूरा लिया था। पुलिस के अनुसार, वे इसे रतलाम से झाबुआ होते हुए गुजरात ले जाने की तैयारी में थीं। गोपाल के विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। आलोट एसडीओपी पल्लवी गौर ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि चारों महिलाएं पहले भी तस्करी के आरोप में जेल जा चुकी हैं। पुलिस उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटा रही है। डोडाचूरा उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति के संबंध में भी विवेचना की जा रही है।

चॉकलेट की डांट का खौफनाक बदला

माही की गूंज, मंदसौर।



दो दिन पहले पानी के टैंक में मिली मासूम की लाश की कहानी इतनी दर्दनाक निकलेगी इसकी दोनों ही परिवारों ने कल्पना भी नहीं की होगी। पड़ोस में ही रहने वाली 12 वर्षीय बालिका ने 4 वर्षीय मासूम की महज इसलिए अपने घर के होद में डुबोकर हत्या कर दी थी कि एक दिन पहले बालिका ने बालक से चॉकलेट लेकर खा ली थी तो बालक की मां ने उसे डांट दिया था। पुलिस ने बालिका के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर अभिरक्षा में लिया। न्यायालय ने उसे बालिका सुधार गृह विदिशा भेज दिया है।

पड़ोसियों के बीच सामान्य व्यवहार में एक डांट किसी परिवार को इतनी महंगी पड़ जाएगी यह किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। शामगढ़ में पानी-पूरी का ठेला लगाने वाले रामकेश बघेल यहीं पंजाबी कॉलोनी में रहते हैं। उनके परिवार में पत्नी, तीन बेटी व चार साल का मासूम कृष्णपाल उर्फ बाबू भी है।

लगभग 10-12 दिन पहले बाबू चॉकलेट खा रहा था, इसी दौरान पड़ोस में रहने वाली 12 वर्षीय बालिका आई और उसने बाबू से चॉकलेट लेकर खा ली। तब बाबू की मां ने बालिका को डांट दिया था।

यही बात बालिका के मन में घर कर गई और उसने मन ही मन बदला लेने की ठान ली। 24 अक्टूबर को दोपहर दो बजे बालिका ने चॉकलेट देने के बहाने बाबू को अपने घर बुलाया। इसके बाद अपने घर में स्थित पानी के भूमिगत होद के ऊपर से पट्टी हटाकर मासूम को धक्का दे दिया और फिर से पट्टी ऊपर रख दी। अंदर तड़प-तड़प कर मासूम की मौत हो गई। इधर काफी देर तक बाबू नहीं दिखा तो उसके स्वजन खोजने निकले। पुलिसकर्मी भी आए और शामगढ़ में आस-पास कई जगह पर खोजकर आ गए।

पुलिस ने कॉलोनी में हर घर में होद देखे तो खुला राज

शामगढ़ थाना प्रभारी कपिल सौराष्ट्रीय ने बताया कि सभी तरफ खोजने के बाद हमने कॉलोनी में ही हर घर में जांच की। वहां पानी के भूमिगत होद भी देखे, तो बालक का शव पड़ोसी के होद में मिला। बाबू को भी आखिरी बार इसी घर में रहने वाली लड़की के साथ देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पीएम के बाद स्वजन को सौंप दिया। स्वजन उसका शव लेकर अंतिम संस्कार करने अपने पैतृक ग्राम चले गए।

इधर पुलिस ने पूरे मामले का पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके से बालिका से पूछताछ की। उसने जो कहानी बताई तो एक बार तो पुलिस अधिकारियों को भी यकीन नहीं हुआ कि 12 वर्षीय बालिका इस तरह बदले की भावना से हत्या कर सकती है। मंगलवार को बालिका को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से बालिका सुधार गृह विदिशा भेज दिया गया।

तीन बहनों के बाद हुआ था लड़का: परिवार में छाया मातम

रामकेश बघेल उप्र के रहने वाले हैं और वर्षों से शामगढ़ में पानी-पूरी का ठेला लगा रहे हैं। यहीं पंजाबी कॉलोनी में घर बना लिया है, अब यहीं बस गए हैं। उनके यहां तीन बालिकाओं के बाद बाबू का जन्म हुआ था। घर में इकलौता भाई होने से सभी का लाड़ला था। महज एक चॉकलेट को लेकर पड़ोस की 12 वर्षीय बालिका ने जो किया इस दर्द को पीड़ित परिवार कभी भूल नहीं पाएगा।

समस्याओं से परेशान एकलव्य स्कूल के बच्चे 20 किमी पैदल चलकर पहुंचे कलेक्ट्रेट

माही की गूंज, रतलाम।

सैलाना स्थित एकलव्य मॉडल स्कूल के विद्यार्थी स्कूल और छात्रावास की समस्याओं को लेकर सोमवार को करीब 20 किलोमीटर पैदल चलकर रतलाम कलेक्ट्रेट पहुंचे। विद्यार्थियों का आरोप है कि शिक्षक समय पर नहीं आते, इससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्रावास में साफ-सफाई सहित अन्य व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं हैं।

विद्यार्थियों ने अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपते हुए कलेक्टर से मुलाकात की मांग की। कलेक्टर के नगर से बाहर होने की जानकारी मिलने के बाद भी विद्यार्थी कलेक्ट्रेट परिसर में बैठे रहे। उनके साथ आदिवासी संगठन जयस के पदाधिकारी भी मौजूद थे।

विद्यार्थियों का कहना है कि वे करीब एक महीने से समस्याओं से परेशान हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर सुनवाई नहीं हो रही। वे अपनी बात सीधे कलेक्टर के सामने रखना चाहते थे। विद्यार्थियों के पैदल रतलाम आने की जानकारी मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी रास्ते में पहुंचे। उन्हें रतलाम लाने के लिए बस की व्यवस्था की गई, लेकिन विद्यार्थी बस में बैठने को तैयार नहीं हुए। उनके पीछे खाली बस और अधिकारियों के वाहन चलते रहे। स्कूल की ओर से विद्यार्थियों को नाश्ता भी उपलब्ध कराया जा रहा था।

जांच के लिए विद्यार्थियों के साथ स्कूल जाएंगी सहायक आयुक्त

जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त डॉ. प्रियंका राय ने विद्यार्थियों की शिकायतों की जांच करने की बात कही। उन्होंने बताया कि करीब एक महीने पहले स्कूल का निरीक्षण किया था। अब विद्यार्थियों के साथ स्कूल जाकर समस्याओं की स्थिति देखी जाएगी। उन्होंने स्टाफ और विद्यार्थियों के बीच संवाद की कमी होने की संभावना भी जताई।

प्राचार्य बोले- कुछ समस्याएं दूर कीं, बाकी के लिए भेजा पत्र

स्कूल प्राचार्य नरेंद्र गंगवार ने बताया कि छात्रावास के बाथरूम से जुड़ी कुछ छोटी समस्याएं दूर करा दी गई हैं। बड़े निर्माण और मरम्मत कार्य लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के माध्यम से होने हैं। इसके लिए पत्र भेजा जा चुका है। एस्टीमेट तैयार होने और फंड मिलने के बाद काम कराया जाएगा।



उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र के नियमित शिक्षक को दूसरी जगह अटैच किए जाने के कारण फिलहाल अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं। विद्यार्थियों ने भौतिकी की पढ़ाई को लेकर भी शिकायत की है। संबंधित शिक्षक से चर्चा कर समाधान का प्रयास किया जाएगा।

प्राचार्य के अनुसार विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म और रोजमर्रा की जरूरी सामग्री दी जा चुकी है। भोजन नियमित रूप से मिल रहा है। भोजन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए मेस कमेटी बनाई गई है। स्कूल में कुल 398 विद्यार्थी हैं, जिनमें कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के करीब 200 विद्यार्थी शामिल हैं।

स्कूली वाहन दुर्घटनाग्रस्त

माही की गूंज, मंदसौर।



जिले के ग्राम रिंडा स्थित एक निजी स्कूल का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के समय वाहन में स्कूली बच्चे सवार थे। वाहन में सवार कुछ बच्चे हादसे में घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

राहगीरों ने घायल बच्चों को जिला अस्पताल पहुंचाया

जानकारी अनुसार ग्राम रिंडा स्थित जीनियस पब्लिक स्कूल के बच्चों को स्कूल ले जा रही तूफान गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में करीब 6 से 7 स्कूली बच्चों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। घटना के बाद मौके से गुजर रहे राहगीरों ने घायल बच्चों को देखा और तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाकर उपचार के लिए भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे।

सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे

अधिकारियों ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों को घायल बच्चों का तत्काल उपचार करने के निर्देश दिए। हादसे की खबर मिलते ही अस्पताल में बच्चों के उपचार को लेकर सक्रियता बढ़ गई। फिलहाल हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। फिलहाल एक बच्ची के गंभीर घायल होने की सूचना है, जिसे रेफर किया गया है।

ड्यूटी छोड़ रची सेल्समैन को पीटने की साजिश...



माही की गूंज, रतलाम।

शिवगढ़ में शराब दुकान पर सेल्समैन और मैनेजर के साथ मारपीट व लूट के मामले में विभाग के आरक्षक की भूमिका सामने आने पर एसपी अमित क्ह्मु मार ने कार्रवाई की है। शिवगढ़ थाने पर पदस्थ आरक्षक बिल्लर सिंह को भी प्रकरण में आरोपित बनाकर हिरासत में लिया गया है। कुल छह आरोपितों को गिरफ्तार कर तीन बाइक जब्त की गई हैं। सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। फरार अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है।

मालूम हो कि 23 अक्टूबर की रात करीब 9:20 से 9:30 बजे के बीच शिवगढ़ बस स्टैंड स्थित कंपोजिट शराब दुकान पर यह घटना हुई थी। आरोपितों ने दुकान में घुसकर सेल्समैन सुशील तिवारी और प्रबंधक 33 वर्षीय धर्मेंद्र पुत्र मोतीलाल जाट निवासी पंथ पिपलाई इंदौर रोड जिला उज्जैन के साथ गेती के हत्थे, सीमेंट के टुकड़ों, शराब की बोतल और लात-घूंसों से मारपीट की थी। दुकान में तोड़फोड़ करने के साथ मोबाइल भी ले गए थे। घटना में सुशील तिवारी के सिर में 13 टांके आए थे और हाथ में फ्रैक्चर हुआ था।

ड्यूटी छोड़कर शराब पार्टी कर रहा था आरक्षक

एसपी अमित कुमार ने घटना के बाद एएसपी राकेश पंद्रो और एसडीओपी किशोर पाटनवाला के नेतृत्व में टीम गठित की। जांच में सामने आया कि वारदात से पहले आरक्षक बिल्लर सिंह रतलाम के दीनदयाल नगर क्षेत्र के कुछ लोगों के साथ शिवगढ़ में एक परिचित के घर पर शराब पी रहा था। उस समय उसकी ड्यूटी गढ़खंखाई माताजी मंदिर पर थी।

सेल्समैन को सबक सिखाने की साजिश में हुआ शामिल

शराब के रुपये देने को लेकर हुई बात के बाद सेल्समैन को सबक सिखाने की योजना बनी थी। आरक्षक वारदात के समय दुकान पर मौजूद नहीं था, लेकिन योजना से जुड़ी बातचीत में उसकी भूमिका सामने आने पर उसे भी षड्यंत्र के आरोप में प्रकरण में शामिल कर गिरफ्तार किया गया। आरक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

इन आरोपितों की हुई गिरफ्तारी

पुलिस ने मदीना मस्जिद के पास हाट रोड निवासी 24 वर्षीय जय पुत्र शरद खरे, राजेंद्र नगर निवासी 33 वर्षीय नानू उर्फ अनिल पुत्र सोहन देवदा, दीनदयाल नगर निवासी 32 वर्षीय कार्तिक उर्फ ओमप्रकाश पुत्र जगदीश मौर्य, सुभाष नगर निवासी 25 वर्षीय पीयूष उर्फ पुष्पेंद्र पुत्र आम्बालाल रोजे, बजरंग नगर निवासी 21 वर्षीय बल्लू उर्फ प्रताप पुत्र सोहनसिंह राजपूत और रुद्राक्ष कॉलोनी रत्नेश्वर रोड निवासी 24 वर्षीय हर्ष उर्फ हर्षवर्धन पुत्र पर्वत कुमार हाड़े को गिरफ्तार किया है।

कार्रवाई में थाना प्रभारी लिलियन मालवीय, एसआई अजमेरसिंह भूरिया, आईएम खान, प्रधान आरक्षक दिलीप शर्मा, विजय मंडलोई, विक्रमसिंह घोसरे, हेमंत कुमार लिम्बोदिया, आरक्षक मनीष खराड़ी, रावजी गणावा, नरवरसिंह मईड़ा, जितेंद्र प्रसाद, रमेश सोलंकी, विक्रमसिंह भूरिया, शैतान खड़िया, घनश्याम दड़िंग, महिला आरक्षक रेणु डावर, सावित्री मकवाने, आरक्षक राजेश और चालक विकास की भूमिका रही।

मामले में निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। जांच में आरक्षक की भूमिका सामने आने पर उसे भी आरोपित बनाकर हिरासत में लिया गया है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। पुलिसकर्मी की संलिप्तता के संबंध में विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई की जाएगी। - **अमित कुमार, एसपी**

बोमा पद्धति से कृष्ण मृगों का रेस्क्यू

माही की गूंज, शाजापुर।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को शाजापुर जिले के रंथभंवर गांव पहुंचकर कृष्ण मृगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के अभियान के दूसरे चरण का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अन्य राज्यों और जिलों में भी चलाया जाएगा।

मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से गांव के अस्थायी हेलीपैड पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से बोमा स्थल गए। उन्होंने वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों से अभियान की प्रगति और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। बोमा पद्धति से कृष्ण मृगों के रेस्क्यू की प्रक्रिया भी देखी। विशेषज्ञों ने उन्हें इसकी जानकारी दी।

किसान कल्याण वर्ष के तहत यह संतोषजनक काम है

मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष के तहत यह संतोषजनक काम है। अभियान के जरिए वन्यजीवों को सुरक्षित ढंग से विभिन्न अभयारण्यों में छोड़ा जा रहा है। इससे किसानों को फसलों के नुकसान से राहत मिलेगी। नौ अक्टूबर से शुरू हुए अभियान में अब तक 1,275 कृष्णमृगों को बोमा पद्धति से पकड़कर विभिन्न अभयारण्यों में भेजा गया है। ग्राम बाड़ीगांव में सोमवार को 169 और मंगलवार को 111 वन्यजीवों का रेस्क्यू किया गया। इस तरह वहां दो दिनों में कुल 280 वन्यजीवों को रेस्क्यू किया गया। अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा।



अभियान से यह राहत

अभियान का उद्देश्य मानव-वन्यप्राणी द्वंद्व और फसलों को होने वाली क्षति कम करना, प्रभावित ग्रामीण समुदायों को राहत देना और वन्यजीवों को उपयुक्त वन्य आवास में सुरक्षित स्थानांतरित करना है। दूसरे चरण में कृष्णमृगों के स्थानांतरण का लक्ष्य 2,000 रखा गया है। दक्षिण अफ्रीकी विशेषज्ञ संस्था कंजर्वेशन सॉल्यूशंस तकनीकी सहयोग दे रही है। पशु चिकित्सकों, वन अधिकारियों और मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रशिक्षित मैदानी कर्मचारी रेस्क्यू, हैंडलिंग और परिवहन में जुटे हैं।

यहां किए जा रहे स्थानांतरित

जिले से पकड़े गए कृष्णमृग और नीलगाय कूनो नेशनल पार्क श्योपुर, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सागर, गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर भेजे जा रहे हैं। इन अभ्यारण्य में बड़ी संख्या में शेर, चीता और तेंदुआ व अन्य वन्य जीव हैं।

फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं वन्यजीव

वन्य जीव कृष्णमृग और नीलगाय द्वारा किसानों की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जाता है। इससे राहत दिलाने के लिए ही वन विभाग द्वारा जिले में पिछले वर्ष पहली बार अभियान चलाकर नीलगाय और कृष्णमृग पकड़कर अन्यत्र छोड़े थे। पहले अभियान को मिली सफलता के बाद अब एक बार फिर अभियान चलाया जा रहा है।

काम आ रहा अनुभव

पिछले वर्ष अभियान के दौरान प्रदेश के वन अमले के वरिष्ठ अफसरों से लेकर मैदानी अमले तक ने वन्यजीव पकड़ने की दक्षिण अफ्रीका की टीम की तकनीक को समझा और बारीकियां सीखीं। दक्षिण अफ्रीका की टीम के मार्गदर्शन में चलाए गए अभियान में शाजापुर जिले के साथ ही मंदसौर नीमच रतलाम देवास राजगढ़ उज्जैन व अन्य कुछ जिले की वन विभाग टीम ने अभियान में हिस्सा लिया और तकनीक सीखी थी। टीम में पायलट, चिकित्सक, वाहन चालक भी शामिल थे। जिसका लाभ इस वर्ष मिल रहा है।

बीते वर्ष लक्ष्य से दोगुना कृष्णमृग पकड़े थे

बीते वर्ष जिले में चला अभियान प्रदेश में पहली बार था। जिसमें ग्रामीण रहवासी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर की मदद से बोमा तकनीक से वन्यजीव पकड़े गए। सरकार ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रुप में प्रारंभ किया था। 20 दिवसीय अभियान में सकारात्मक परिणाम सामने आने पर कृष्मण मृग पकड़ने के लक्ष्य में वृद्धि भी की गई। शुरूआती लक्ष्य 400 कृष्णमृग पकड़ने का था, किंतु सफल परिणाम को देखते हुए अतिरिक्त अनुमित ली गई और लक्ष्य से दोगुने से ज्यादा 846 कृष्णमृग और 67 नीलगाय पकड़कर प्रदेश के विभिन्न अभयारण्य में छोड़ा गया था।

न्यायालय में बयान के बाद पति के साथ गई युवती

माही की गूंज, खंडवा।

महादेवगढ़ मंदिर में तेजपाल से विवाह करने वाली तंजीम उर्फ तेजस्विनी ने मंगलवार को न्यायालय में बयान दर्ज कराए। छैगांवमाखन पुलिस ने युवती को खंडवा न्यायालय में न्यायाधीश अपेक्षा पाटीदार के समक्ष पेश किया। युवती ने अपने बयान में पति तेजपाल के साथ रहने की इच्छा जताई। उसने अपने परिजनों पर किसी तरह की हिंसा किए जाने का आरोप नहीं लगाया। बयान दर्ज होने के बाद युवती अपने पति के साथ रवाना हो गई।

इससे पहले 25 अक्टूबर को विवाह के बाद मालीकुआं क्षेत्र स्थित नोटरी कार्यालय के बाहर युवती को उसके परिजनों द्वारा कथित रूप से जबरन ले जाने का मामला सामने आया था। तेजपाल ने कोतवाली थाने में आवेदन देकर मारपीट और अपहरण का आरोप लगाया था। घटना के सीसीटीवी दृश्य भी सामने आए थे, जिनमें कुछ लोग युवती को जबरन ले जाते दिखाई देने का दावा किया गया था। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने पुलिस नियंत्रण कक्ष पर प्रदर्शन किया और युवती को उसके पति के पास वापस भेजने के साथ ही संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।



तेजपाल के अनुसार, वह और तंजीम करीब पांच साल से एक-दूसरे को जानते हैं। दोनों ने 20 फरवरी 2026 को आपसी सहमति से साथ रहने का निर्णय लिया था। इसके लिए इंदौर न्यायालय में साथ रहने से संबंधित दस्तावेज भी तैयार कराए गए थे।

25 अक्टूबर को दोनों ने खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में वैदिक रीति-रिवाज से विवाह किया। इसके बाद वे मालीकुआं क्षेत्र में नोटरी के पास विवाह संबंधी दस्तावेज तैयार कराने पहुंचे थे। इसी दौरान युवती के परिजन वहां पहुंच गए। तेजपाल ने आरोप लगाया था कि परिजनों ने उसके साथ मारपीट की और युवती को जबरन अपने साथ ले गए।

घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी दृश्यों को लेकर दावा किया गया कि कुछ लोग नोटरी कार्यालय पहुंचे और युवती को बाहर ले गए। दृश्यों में युवती को जमीन पर गिराने और घसीटकर ले जाने जैसी गतिविधियां दिखाई देने की बात कही गई थी। तेजपाल ने पुलिस को आवेदन देकर मारपीट और अपहरण के आरोप में प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी।

27 अक्टूबर को युवती को ले जाने की घटना के विरोध में हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पुलिस नियंत्रण कक्ष पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने युवती को उसके पति के पास भेजने और उसे ले जाने वालों के खिलाफ अपहरण सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी।

मंगलवार देर शाम छैगांवमाखन पुलिस ने युवती को एक रिश्तेदार के घर से बरामद किया। इसके बाद उसे खंडवा न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश अपेक्षा पाटीदार के समक्ष उसके बयान दर्ज हुए। युवती ने पति तेजपाल के साथ रहने की इच्छा जताई और परिजनों पर हिंसा का आरोप नहीं लगाया। न्यायालय में बयान दर्ज होने के बाद वह तेजपाल के साथ चली गई।

28 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त, चार दुकानों पर कार्रवाई

माही की गूंज, बड़वानी।



नगर पालिका ने प्रतिबंधित पॉलीथीन और एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक सामग्री के अवैध उपयोग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुधवार को शहर की चार दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान करीब 28 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन और सैकड़ों डिस्पोजल सामग्री जब्त की गई।

नगर पालिका ने कार्रवाई से 15 दिन पहले दुकानदारों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया था। इस दौरान उन्हें एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने और कपड़े की थैलियों को अपनाने की समझाइश दी गई थी। दुकानदारों को प्रतिबंधित सामग्री का मौजूदा भंडार खत्म करने के लिए 15 दिन की मोहलत भी दी गई थी। इसके बावजूद कुछ दुकानदारों ने प्रतिबंधित सामग्री नहीं हटाई, जिसके बाद नगर पालिका की टीम ने कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान मनीष जैन की दुकान से तीन किलो पॉलीथीन और 500 डिस्पोजल जब्त किए गए। वहीं, अरिहंत डिस्पोजल की दुकान से 25 किलो पॉलीथीन और डिस्पोजल के दो पैकेट मिले। नगर पालिका की टीम ने प्रतिबंधित सामग्री जब्त कर दुकानदारों को दोबारा ऐसा सामान नहीं रखने की हिदायत दी। पॉलीथीन प्रभारी सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि फिलहाल दुकानदारों को समझाइश देकर प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई है। यदि दोबारा ऐसी सामग्री मिलती है तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सीधे न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए नगर पालिका का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

नाले किनारे मिला अज्ञात महिला का शव, दो-तीन दिन पुराना होने की आशंका

माही की गूंज, बड़वानी।

जिले के ठीकरी थाना क्षेत्र में घट्टी और देवला गांव के बीच बुधवार सुबह नाले किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों ने शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

घट्टी के उपसरपंच सुरेश मुकाती ने बताया कि नाले में महिला का शव मिलने की सूचना ठीकरी पुलिस को दी गई थी। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शव दो से तीन दिन पुराना होने की आशंका है और उसकी हालत भी खराब है। संभावना जताई जा रही है कि महिला की मौत कुछ दिन पहले हुई होगी और शव पानी में बहकर नाले के किनारे आकर अटक गया होगा। हालांकि, महिला की मौत हादसे में हुई या इसके पीछे कोई अन्य कारण है, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा।

सूचना मिलने पर ठीकरी थाने की त्वरित प्रतिक्रिया वाहन और डायल-100 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा तैयार कर शव को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। महिला की पहचान कराने के लिए आसपास के गांवों के कोटवारों की मदद ली जा रही है। साथ ही क्षेत्र में लापता महिलाओं की जानकारी भी जुटाई जा रही है।

ठीकरी थाना पुलिस के अनुसार, महिला की मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। महिला की पहचान होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।



कपास मंडी में ई-टोकन व्यवस्था से किसान परेशान, पर्ची के लिए करना पड़ रहा इंतजार

माही की गूंज, खरगोन।



कपास मंडी में ई-टोकन व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। बुधवार को 500 से अधिक किसान प्रवेश पर्ची बनवाने के लिए कतारों में खड़े रहे। किसानों को पर्ची प्राप्त करने के लिए एक से दो घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इससे किसानों का समय बर्बाद हो रहा है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कपास के मौसम में खरगोन मंडी में प्रतिदिन करीब 1500 वाहन और 100 से अधिक बैलगाड़ियों के माध्यम से 20 से 30 हजार क्विंटल कपास नीलामी के लिए पहुंचता है। इसके बावजूद प्रवेश पर्ची बनाने के लिए केवल दो काउंटर संचालित किए जा रहे हैं। किसानों की संख्या को देखते हुए यह व्यवस्था पर्याप्त साबित नहीं हो रही है।

किसानों के अनुसार, रात में मंडी पहुंचने वाले वाहनों की प्रवेश पर्चियां सुबह बनाई जाती हैं। इसके चलते नीलामी शुरू होने से पहले ही मंडी के मुख्य द्वार पर भीड़ जमा हो जाती है। सीमित काउंटर होने के कारण किसानों को लंबे समय तक कतार में खड़े रहना पड़ता है।

किसान दशरथ राठौर ने बताया कि कपास से भरी गाड़ी छोड़कर प्रवेश पर्ची बनवाने के लिए कतार में लगना पड़ता है। इससे समय की बर्बादी होती है और उपज की व्यवस्था संभालने में भी परेशानी आती है।

किसानों ने मंडी प्रशासन से कपास के मौसम में प्रवेश पर्ची बनाने के लिए अतिरिक्त काउंटर खोलने और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। साथ ही, मंडी परिसर में ही तत्काल प्रवेश पर्ची बनाने की व्यवस्था करने की मांग उठाई है, ताकि किसानों को लंबी कतारों और अनावश्यक इंतजार से राहत मिल सके।

शुरू हुआ हेलमेट बैंक, निःशुल्क ले सकेंगे हेलमेट

माही की गूंज, खंडवा।



सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खंडवा पुलिस ने नई पहल की है। शहर में हेलमेट बैंक शुरू किया गया है, जहां से लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क हेलमेट ले सकेंगे। बुधवार को कहारवाड़ी पुलिस चौकी में इस सुविधा की शुरुआत की गई। फिलहाल हेलमेट बैंक में 50 हेलमेट उपलब्ध कराए गए हैं। लोगों के सहयोग और आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। यातायात उप पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार राय ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अगम जैन की पहल पर हेलमेट बैंक स्थापित किया गया है। इसके लिए कहारवाड़ी पुलिस चौकी की मरम्मत और नवीनीकरण कर उसे हेलमेट बैंक के रूप में तैयार किया गया है। यातायात पुलिस ने अपने बजट से शुरुआती तौर पर 50 हेलमेट उपलब्ध कराए हैं।

यातायात थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यक जानकारी दर्ज कराकर हेलमेट ले सकता है। इसके लिए नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर देना होगा। हेलमेट पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन यात्रा पूरी होने के बाद उसे वापस करना अनिवार्य होगा।

जिन लोगों के पास दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं है, वे कार्यालयीन समय में कहारवाड़ी पुलिस चौकी स्थित हेलमेट बैंक से इसे प्राप्त कर सकते हैं। कार्यालयीन समय के बाद हेलमेट की आवश्यकता होने पर यातायात थाने से संपर्क कर सुविधा ली जा सकेगी।

पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से भी इस पहल में सहयोग करने की अपील की है। इच्छुक व्यक्ति अपनी ओर से हेलमेट दान कर सकते हैं। जन्मदिन, शादी की सालगिरह या किसी अन्य विशेष अवसर पर हेलमेट दान कर इस अभियान में योगदान दिया जा सकता है।

पुलिस का उद्देश्य है कि हेलमेट के अभाव में किसी भी व्यक्ति को बिना सुरक्षा के दोपहिया वाहन न चलाना पड़े। हेलमेट बैंक के माध्यम से लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। नागरिकों के सहयोग से हेलमेट की संख्या बढ़ने पर अधिक वाहन चालकों को इसका लाभ मिल सकेगा।

12वीं की छात्रा का कमरे में फंदे पर लटका मिला शव

माही की गूंज, सेंधवा।

पुराना एबी रोड स्थित आदर्श लॉज के पास किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रही 16 वर्षीय छात्रा का शव बुधवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका मिला। मृतका की पहचान ममता डुडवे के रूप में हुई है। वह सांदीपनि विद्यालय में कक्षा 12वीं की छात्रा थी। घटना की जानकारी मिलने पर शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।



जानकारी के अनुसार, ममता पिता कमल डुडवे निवासी नकटीरानी सेंधवा में रहकर पढ़ाई कर रही थी। बुधवार सुबह उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। कमरे के भीतर छात्रा का शव फंदे पर लटका मिला। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी। परिजनों की मौजूदगी में घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा कार्रवाई की गई।

पुलिस को घटनास्थल से फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। खरगोन से विधि विज्ञान विशेषज्ञों की टीम के पहुंचने के बाद घटनास्थल का बारीकी से परीक्षण किया जाएगा। जांच और आवश्यक कार्रवाई पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़ी परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी।

राजनीति मे विरोधियो के प्रति तल्ख होते तेवर

पिछले हफ्ते की शुरुआत में नागपुर में जब तक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपना वार्षिक विजयादशमी भाषण दिया, जिसमें उन्होंने 'सत्ता परिवर्तन' की संभावना को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के प्रति संगठन के समर्थन को रेखांकित किया,तब तक, बंगाल में दुर्गा पूजा पंडालों के आसपास लगे वामपंथी साहित्य के बुकस्टॉलों में आग लगा दी जा चुकी थी।



ज्योति मल्होत्रा

किताबों के साथ हुए इस किस्म के सलूक ने, बेशक, आपको रे ब्रैडबरी के 1953 के मशहूर उपन्यास 'फॉरेनहाइट 451' की याद दिलाई होगी,इस किताब का उपशीर्षक है- 'वह तापमान, जिस पर किताबों का कागज आग पकड़ता है और जल जाता है'। यह उपन्यास अमेरिका में मैकार्थी युग के चरम पर लिखा गया था। इसमें नाज़ी जर्मनी में किताबों को जलाए जाने और सोवियत संघ की 'गुलाग' जेलों में हुए दमन का जिक्र है, जब 'राष्ट्र-विरोधी' माने जाने वाले साहित्य को पढ़ने, लिखने या उस पर विचार करने का मतलब था कड़ी सजा आमंत्रित करना।

बेशक, बंगाल की इस घटना की तुलना उस उपन्यास से करना कुछ बढ़ा-चढ़ाकर देखना हो सकता है। जो भी हो, राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने, जिन्होंने यकीनन मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के मुकाबले कहीं ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं–अपनी सरकार की कुछ हद तक लाज बचा ली, जब उन्होंने कहा कि हालिया दुर्गा पूजा के दौरान जिस तरह से कुछ उपद्रवियों और गुंडों ने वामपंथी बुकस्टॉलों को तहस-नहस किया है, उसे देखकर उनका सिर शर्म से झुक जाता है। (इस मामले को गहराई से समझने के लिए, आप पिछले हफ्ते 'द ट्रिब्यून' में छपा वरिष्ठ पत्रकार शिखा मुखर्जी का लेख पढ़ सकते हैं।)

दासगुप्ता ने गत सप्ताह हिम्मत कर सच बोला है क्योंकि वे समझते हैं कि 'बंगाल' का विचार सुवेंदु अधिकारी से कहीं बड़ा है - ठीक वैसे ही, जैसे कभी सीपीआई (एम) के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु ने 1996 में अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई थी। तब उन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनने से रोके जाने के पार्टी के फैसले को एक 'ऐतिहासिक भूल' करार दिया था। यहां मुख्य बात यह है कि बिल्कुल अलग-अलग विचारधाराओं-एक वामपंथी और दूसरी दक्षिणपंथी-से जुड़े ये भद्र पुरुष, अलग-अलग विचारों के सहअस्तित्व को स्वीकार करने में सक्षम रहे। यही लोकतंत्र का सार है। ऐसा करके, दासगुप्ता विरोधी विचारों के प्रति सम्मान का समर्थन करते हैं। वामपंथ में भी कई लोग ऐसे हैं जो एक ही सांस में 'लाल सलाम' का नारा लगाने और अंदर ही अंदर महालया पाठ करने में समर्थ नहीं हैं। लेकिन एक अच्छे कॉमरेड ज्योति बाबू समझते थे कि भले ही धर्म 'जनता के लिए अफीम' हो, फिर भी इस नियम का एक अपवाद हमेशा रहा है-देवी दुर्गा, देवी काली और देवी सरस्वती का उत्सव।

यही वजह है कि गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से जुड़ा मशहूर कथन लंबे समय तक सच माना जाता रहा = 'बंगाल जो आज सोचता है, शेष भारत कल सोचता है'। (हालांकि, गोखले ने 1905 में ऐसा नहीं कहा था।) फिर भी, समस्या बंगाल या बंगालियों के साथ नहीं है-भले ही सुवेंदु अधिकारी कुछ भी कहें-बल्कि समस्या यह है कि आज भारत में 'अलग' होने, धारा के विपरीत तैरने का विचार धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है।



सच तो यह है कि ऐसा कुछ समय से हो रहा है। हाज़िरजवाबी की कला- जिसमें आप गुस्से की बजाय व्यंग्य की धार से अपने विरोधी को निरुत्तर कर दें-लगभग विलुप्त हो चुकी है। आजकल राजनीति में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। शायद हर किसी के पास गुस्सा होने की कोई न कोई वजह है।

यही कारण है कि दिल्ली की सड़कों पर होने वाले विरोध-प्रदर्शन-जब भी पुलिस होने दे- उसके कुछ हिस्से, एक सुखद बदलाव की तरह लगते हैं। मिरांडा हाउस की छात्राओं का 'एक कचौड़ी, दो समोसा' वाला नारा इसलिए असरदार रहा क्योंकि वे दिल्ली पुलिस पर तंज कस रही थी 'कि जब हमें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब आप कहां होते हैं'? या फिर जब नेहा बोरा उन पुलिसकर्मियों से चाय की मांग करती हैं, जिन्होंने उन्हें और उनके साथियों को हिरासत में ले रखा है? छात्रों ने वह पुरानी कहावत पकड़ ली = 'जब आपका विरोधी आपसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हो, तो उसको हास्य से जीत लो'।

तथापि, दिल्ली में कुछ चीजें पहले ही बदल रही हैं। मिजाज सख्त होता जा रहा है। यह साफ है कि सरकार दोतरफा रणनीति लगा रही है - पहला, हर किस्म के विरोध-प्रदर्शन को न होने देना, चाहे वह सड़कों पर होने वाले प्रदर्शन हों या विरोध दर्शाने वाले अन्य माध्यम, जैसे कि प्रदर्शनों की छवियों वाली तस्वीरों की प्रदर्शनी। अब मस्ती और हल्के-फुल्केपन का समय सिकुड़ रहा है।

दूसरा, मुख्य विपक्षी दल को निशाना बनाना। भले ही देश के ज्यादातर हिस्सों में कांग्रेस सिकुड़ी पड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि यही वह एकमात्र राजनीतिक समूह है, जिसमें खुद को फिर से खड़ा करने की क्षमता है। कोई इत्तेफाक नहीं कि बीते गुरुवार एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में मोदी ने अपनी टिप्पणियों में कांग्रेस पर 'दिमागी नक्सलियों' या 'बौद्धिक नक्सलियों'के बढ़ते प्रभाव की बात कही। यह भी कोई इत्तेफाक नहीं कि बीजेपी इस समय राहुल गांधी के कथित तौर पर विदेश में छुट्टियां मनाने को - माना जा रहा है कि वे वियतनाम में हैं - निशाना बना रही है और पूछ रही है कि वहां पर वे किससे मिल रहे हैं।

यह एक अलग बात है कि ऐसे नाजुक समय में विदेश जाकर छुट्टी मनाने का कथित फैसला करके राहुल गांधी खुद ही शेर की मांद में चले गए हैं - जिससे पूरे विपक्ष की रणनीति पर ही सवाल खड़े हो गए हैं (या फिर अगर वे वहां नहीं हैं, तो भी कांग्रेस में कोई इस बात की पुष्टि या खंडन नहीं कर रहा।) विपक्ष का गुब्बारा पहले ही पिचका जा रहा है। सरकार और विपक्ष, दोनों ही, यह जानते हैं कि कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियां और 'इंडिया' गठबंधन जैसे मोर्चे ही इस लड़ाई का नेतृत्व कर सकते हैं - न कि वे छोटे-मोटे समूह, जो खुद को 'कॉकरोच' कहलाने में गर्व महसूस करते हैं और ज्यादा से ज्यादा बस लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर सकते हैं।

यही वजह है कि विजयादशमी के मौके पर मोहन भागवत का यह बयान बहुत अहम हो जाता है, जिसमें उन्होंने 'सत्ता परिवर्तन' की संभावना को खारिज कर दिया। भाषण की शुरुआती पंक्ति इस बार कहीं ज्यादा सख्त थी, पिछली बार की बनिस्बत जब उन्होंने अगस्त माह में 'जेन-ज़ी' और 'जेन-अल्फा' छात्रों से बात की थी और स्वीकार किया था 'आज्ञा मानने वाला वक्त'अब गुजर चुका है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे अहम राज्यों में चुनाव करीब हैं, ऐसे में भागवत जानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के बीच जरा सा भी मतभेद या दूरी नज़र नहीं आनी चाहिए।

अब फिर से बंगाल और रे ब्रैडबरी, दोनों की ओर लौटते हैं - अगर किताबें नष्ट करने के विचार को कथित बढ़ावा देने के लिए सुवेंदु अधिकारी को उनकी ही पार्टी फटकार तक नहीं लगाती, तो इसका क्या मतलब है? जहां तक रे ब्रैडबरी की बात है, वे नाज़ी जर्मनी में किताबों को जलाए जाने की घटनाओं से बेहद आहत थे। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने 'फ़ारेनहाइट 451' इसलिए लिखी कि जिस तरह अमेरिका में 1950 के दशक में चीज़ें घट रही थीं, जब 'बहुत से लोग अपनी ही परछाई से डरने लगे थे'।

शायद, सब कुछ कहा और किया जा चुका हो, तब एक ही सवाल बचता है = क्या सच में यही वह तापमान है जिस पर कागज़ जलता है? या फिर, आग को फिर से सुलगाने के लिए किसी बिल्कुल नए विचार की ज़रूरत है?

अगर शिक्षा विभाग में ही भ्रष्टों का जमावड़ा है तो जिले में शिक्षा व्यवस्था के हाल बिगड़ना ही है

लोकायुक्त की कार्यवाही में बीईओ जय वैरागी रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ाया, रेग्यूलर करने के नाम पर भी धोकाधड़ी का आरोप

माही की गूंज, झाबुआ।

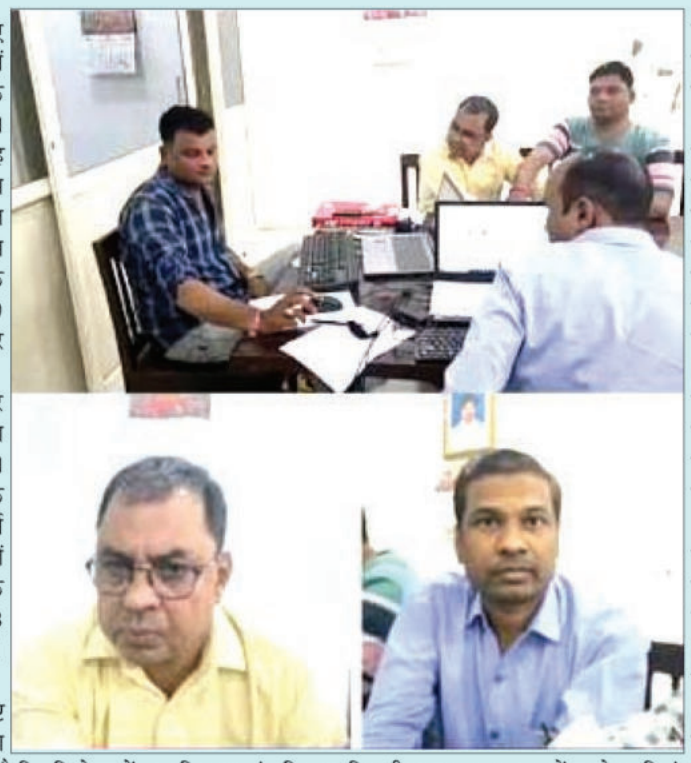
वैसे तो झाबुआ जिला हमेशा से ही पिछड़े जिलों में सुमार होता रहा है। आजादी के लगभग आठ दशक हो चुके है और इस आदिवासी बाहुल झाबुआ जिले की स्थिति अब भी नौ दिन चले अढ़ाई कोस ही साबित हो रही है। इसका बहुत बड़ा कारण यह भी है कि, यहां की अफसरशाही अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी दिखाई देती है। यह कोई आरोप नहीं है बल्कि इस बात का प्रमाण यह है कि, जिले में हर एक-दो महीनें में लोकायुक्त की टीम जिले के किसी न किसी भ्रष्ट को रंगे हाथों गिरफ्तार करती दिखाई देती है। इससे यह भी साबित होता है कि, जिले में सरकार की तरफ से आने वाला गरीबों के हक का पैसा किस तहर भ्रष्ट अफसरशाही भ्रष्टाचार कर निगल रहे है और अपनी जेबे गर्म कर रहे है।

जब इस तरह के अधिकारी शिक्षा विभाग में रिश्वत खोरी करते रंगे हाथों पकड़े जाने लगे तो यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है कि, जिले की शिक्षा व्यवस्था कितनी दुरूस्त और चाक चौबंद है...? शिक्षा विभाग में इन दिनों मानों चारों तरफ भ्रष्टाचार की बाढ़ सी आई हुई है। हालांकि उच्चाधिकारी हमेंशा इस तरह के मामलों को दबानें के पक्ष में ही दिखाई देते है। कारण यह है कि ''अपनी जांघ कौन उघारे''। दूसरी बात यह कि ''बकरा कटता है तो फिर सबमें बंटता है''। इसलिए चाहे जितना भ्रष्टाचार हो ''उच्चाधिकारी मुंह में मुंग ओरे'' बैठे दिखाई देते है।

पिछले दिनों शिक्षा विभाग के बीईओ जय नारायण बैरागी एक शिक्षक की निलंबन अवधी के रूपए निकालने को लेकर रिश्वत मांगने के मामले में अपने एक अन्य कर्मचारी पवनसिंह बिलवाल के साथ रंगे हाथों लोकायुक्त के हत्थे चढ़ गये। मामला कुछ यूं है कि, शिकायतकर्ता धूमसिह सिंगाड अधीक्षक शासकीय बालक छात्रावास सेमलिया बड़ी झाबुआ ने लोकायुक्त में शिकायत की कि विकास खंड शिक्षा अधिकारी जय नारायण बैरागी ने उनसे उनके निलंबन अवधि के 8 महीने के बकाया वेतन करीब 2 लाख 30 हजार रुपए के बिल पास करने के लिए 10 हजार की रिश्वत की मांग की थी।

शिकायतकर्ता की शिकायत पर इंदौर लोकायुक्त की टीम ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय झाबुआ पर दबिश दी। बीईओ जय नारायण बैरागी के इशारे पर सहायक ग्रेड-3 पवनसिंह बिलवाल को शिकायतकर्ता धूमसिंह से 10 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लोकायुक्त टीम ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 एव बीएनएस 2023 की धारा 61 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया।

अब सवाल यह कि क्या इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ही जिले में शिक्षा का स्तर चरमराया हुआ है। कल्पना की जा सकती है कि, जिले में एक विकास खंड शिक्षा अधिकारी जब इस तरह हजारों रुपए की रिश्वत मांगता है, तो जिले में और कितने ऐसे अधिकारी होंगे? वैसे भी जिले का शिक्षा विभाग अधिकतर मामलों में हमेशा अव्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। बावजूद इस विभाग से यह उम्मीदें की जा रही है कि, जिले में शिक्षा का स्तर सुधरेगा, कई प्रश्नों को जन्म देता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि शिक्षा विभाग में यह कोई पहला या आखरी रिश्वतखोरी का मामला हो, लेकिन इतनी कार्रवाईयों के बाद भी आखिर होता क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक निलंबन, भ्रष्टाचार और अनियमित्ता के चलते निलंबित होने वाला अधिकारी जो महज कुछ दिनों बाद फिर बहाली की बहार काटते नजर आता है। बीईओ जय नारायण बैरागी जिस मामले में लोकायुक्त के हत्थे चढ़े वह भी एक छात्रावास अधीक्षक के निलंबन के बाद बहाली का ही मामला था। आखिर छात्रावास अधीक्षक को क्यों निलंबित किया गया था? स्वाभाविक है या तो कोई अनियमित्ता या फिर भ्रष्टाचार...?



इस मामले से एक बात का अंदाजा और लगाया जा सकता है कि, शिक्षा या तंत्र में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी किस तरह से रग-रग में उतर चुकी है कि, एक निलबंन के बाद बहाल होकर निलंबन अवधी के बकाया वेतन के लिए रिश्वत खोरी के आरोप में एक बीईओ को लोकायुक्त के हत्थे चढ़ा दिया। अब बीईओ जय नारायण बैरागी और सहायक ग्रेड 3 पवनसिंह बिलवाल को मूल पद से हटाकर कार्यालय सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग झाबुआ में सबद्ध करने के आदेश जारी हुए है। हालांकि इस आदेश में निलंबन का कोई जिक्र नही है? इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि, उच्चाधिकारी किस तरह से अपने भ्रष्ट अधिनस्तों के ढाल बनकर बचाते दिखाई देते है।

जिले में आए दिन इसी तरह शिक्षा विभाग सुर्खियां बटौरता दिखाई पड़ता है। कभी कहीं स्कूलों में सामग्री सप्लाय के मामलें में भ्रष्टाचार के समाचार सामने आते है तो कहीं छात्रावासों और स्कूलों के बच्चे अव्यवस्थाओं के चलते जिला मुख्यालय की ओर पैदल मार्च करते नजर आते है। कहीं मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होते है तो कहीं शिक्षकों, अधिकारियों के भ्रष्टाचार का बोलबाला दिखाई देता है। कुल मिलाकर जिले में जनजाति कार्यविभाग और शिक्षा विभाग में अक्सर भ्रष्टाचार का बोलबाला सुनाई व दिखाई देता है। अगर शिक्षा विभाग में ही इस तरह से भ्रष्टों का जमावड़ा है तो फिर जिले में शिक्षा व्यवस्था के सुधार की उम्मीदें करना बैमानी ही होगा।

यह इस जिले की किस्मत ही कही जाएगी कि, जिस जिले को पिछड़ा मानते हुए सरकारें पानी की तरह पैसा बहाती है उस पानी की गंगा में जिलेवासी नहीं बल्कि भ्रष्ट अधिकारी ही डूबकी लगाते है। कुछ लोकायुक्त के हत्थे चढ़ जाते है तो कुछ भ्रष्टाचार की गंगा में डूबकी लगाकर वारे-न्यारे हो जाते है।

साड़ी में छिपाया जेवरों का बॉक्स, 45 लाख की चोरी

बुरहानपुर। बुरहानपुर में एक सराफा दुकान पर ग्राहक बनकर तीन महिलाएं पहुंचीं और करीब 45 लाख रुपये के सोने के जेवर पार कर दिए। महिलाओं ने गहने दिखाने के दौरान दुकानदार का ध्यान भटकाया और एक बॉक्स साड़ी में छिपा लिया। इसके बाद तीनों दुकान से बाहर निकल गईं। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में ये घटना कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है।

मामला बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में फव्वारा चौक स्थित सराफा दुकान का है। सोमवार शाम करीब 6 बजे तीन महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचीं। दुकान में उन्हें सोने के गहने दिखाए जाने लगे। इसी दौरान महिलाओं ने कथित तौर पर दुकानदार का ध्यान भटकाया। आरोप है कि मौका देखकर उनमें से एक महिला ने जेवरों से भरा बॉक्स अपनी साड़ी में छिपा लिया। इसके बाद तीनों कुछ देर दुकान में रुकीं और फिर बाहर निकल गईं। दुकानदार को शुरुआत में बॉक्स गायब होने का पता नहीं चला। करीब 15 मिनट बाद जब उसे सामान कम होने का शक हुआ, तो उसने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी। फुटेज में महिलाओं की गतिविधियां दिखाई देने की बात कही गई है। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई।

दुकान से निकलने के बाद महिलाओं के साथियों की भूमिका भी सामने आई है। बताया गया है कि सड़क किनारे हेलमेट पहने एक व्यक्ति बाइक के साथ खड़ा था। तीनों महिलाओं में से एक उसके साथ बाइक पर बैठ गई, जबकि बाकी दो महिलाएं आगे बढ़ीं और फिर एक बाइक पर सवार होकर वहां से निकल गईं। आशंका जताई जा रही है कि चोरी में दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि, कितने लोग इस वारदात में शामिल थे और उनकी आपस में क्या भूमिका थी, यह पुलिस जांच के बाद ही साफ होगा।

बुरहानपुर के सिटी एसपी विनोद सिंह कुशवाह ने बताया कि घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में फव्वारा चौक स्थित अनिल अग्रवाल की लक्ष्मण किशोर जुगलकिशोर सराफा दुकान पर हुई है। घटना सोमवार शाम करीब 6 बजे की है। मामले से जुड़े कुछ सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले हैं और आरोपियों तक पहुंचने के लिए मुखबिरों को भी एक्टिव किया गया है। जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है।

5 नवंबर को सीआरएस की हरी झंडी मिलने की उम्मीद

माही की गूंज, धार।

इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना के तहत धार तक रेल पहुंचने का इंतजार अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। टीही के पास बनी 2,957 मीटर लंबी सुरंग में रेलवे ट्रैक को दोनों छोर से जोड़ने के बाद सोमवार को टॉवर वेगन चलाकर सफल निरीक्षण किया गया।

वहीं इसके अगले दिन मंगलवार को रेल पटरी को पैकिंग करने वाली स्वचलित भारी मशीन भी सफलता पूर्वक निकल गई है। इससे अब रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) के निरीक्षण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इधर प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 5 और 6 नवंबर को टीही से धार के बीच लगभग 47 किलोमीटर लंबे रेलखंड का निरीक्षण किया जा सकता है। इसके लिए टीही, पीथमपुर, सागौर, गुणावद और धार सहित संबंधित रेलखंड के स्टेशनों, पटरियों, पुलों, विद्युतीकरण और सिग्नलिंग व्यवस्था को परखा जाएगा।

टनल में बैलास्टलेस ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो चुका है

टनल में ट्रैक लिंकिंग पूरी होने के बाद टॉवर वेगन को टीही की ओर स्थित पी-1 छोर से चलाकर पीथमपुर की ओर स्थित पी-2 छोर तक ले जाया गया था। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार, मुख्य



इंजीनियर निर्माण धीरज कुमार के निर्देशन में टीही-धार रेलखंड का निर्माण अंतिम चरण में है। टनल में बैलास्टलेस ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो चुका है, जबकि विद्युतीकरण और सिग्नलिंग से संबंधित कार्य भी अंतिम चरण में हैं।

क्षेत्र के लोगों को दीपावली के आसपास बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है

रेलवे सुरक्षा आयुक्त का निरीक्षण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा होने और आवश्यक सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने के बाद इस रेलखंड पर रेल संचालन की दिशा में अगला कदम बढ़ सकेगा। ऐसे में धार और आसपास के क्षेत्र के लोगों को दीपावली के आसपास बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। दिसंबर तक इंदौर से धार के बीच रेल सेवा शुरू होने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि, नियमित यात्री रेल सेवा शुरू होने की तारीख रेलवे की अंतिम मंजूरी और परिचालन संबंधी तैयारियों पर निर्भर करेगी।

इस रेलखंड पर रेल संचालन शुरू होने से धार जिले को इंदौर से सीधा रेल संपर्क मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के साथ ही आसपास के गांवों और कस्बों को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।

टनल निर्माण का इतिहासः क्यों हुई देरी

इंदौर-दाहोद रेल लाइन परियोजना को 2007-08 के दौरान स्वीकृति मिली थी और शुरुआती लक्ष्य के अनुसार इसे 2011 तक पूरा किया जाना था। लगभग 200.97 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की लागत शुरुआती करीब 1,680 करोड़ रुपये थी।टीही के आगे सुरंग की आवश्यकता और उसके निर्माण ने परियोजना की समय-सीमा को प्रभावित किया।

वर्ष 2017-18 के आसपास टनल का काम शुरू हुआ, लेकिन कठिन निर्माण परिस्थितियों, तकनीकी चुनौतियों और कोरोना काल के बाद ठेकों में बदलाव के कारण काम की गति प्रभावित हुई। सुरंग के दोनों सिरों को जोड़ने का काम जून 2025 के आसपास पूरा होने की खबरें आईं, लेकिन इसके बाद भी अंदरूनी सतह, जल रिसाव रोकने, ट्रैक बिछाने, विद्युतीकरण और अन्य तकनीकी कार्य बाकी रहे गए थे। इस कारण धार तक रेल सेवा शुरू करने का लक्ष्य आगे खिसकता रहा और परियोजना की लागत पर भी दबाव बढ़ा।

भोजशाला में 720 वर्षों बाद सप्तशती पाठ और यज्ञ की पूर्णाहुति

माही की गूंज, धार।

ऐतिहासिक भोजशाला में मंगलवार को सात दिवसीय सप्तशती पाठ, पूजा-अर्चना, आरती और यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ विशेष धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। भोजशाला मुक्ति यज्ञ समिति के अनुसार, 720 वर्षों के बाद महाराजा भोज की पुरातन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पहली बार भोजशाला में इस स्वरूप में सप्तशती पाठ और यज्ञ का आयोजन किया गया।

मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न कराई

आयोजन के अंतिम दिन मुख्य पुजारी ने मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न कराई। इस दौरान शंखनाद, झांझ-मंजीरों की ध्वनि और मां सरस्वती तथा राजा भोज के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया।

अपनी सेवा मां सरस्वती और भोजशाला स्थित मां वाग्देवी को समर्पित की

यज्ञ में समिति के संरक्षक विश्वास पांडे तथा चंद्रवंशीय राजपूत समाज के जतन परमार और तेजू दीदी परमार ने मुख्य यजमान के रूप में आहुतियां अर्पित कीं। इस अवसर पर विश्वास पांडे ने अपनी सेवा मां सरस्वती और भोजशाला स्थित मां वाग्देवी को समर्पित की। उन्होंने भोजशाला में मां वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित करने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे सनातन हिंदू समाज की आस्था और मां के गौरव को सम्मानपूर्ण स्थान मिलेगा।

मातृशक्ति और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे

कार्यक्रम में भोजशाला मुक्ति यज्ञ समिति के संयोजक गोपाल शर्मा, अध्यक्ष सुरेश चंद्र जलोदिया, महाप्रबंधक हेमंत दोराया, संरक्षक अशोक जैन, राजेश शुक्ला, राजाभव भदाने, मोहन राठौर सहित समिति के सदस्य, मातृशक्ति और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। उक्त जानकारी समिति के मीडिया प्रमुख मोहन राठौर ने दी।

नियुक्तियों के दस्तावेज आखिर कहां अटके? 90 दिन बाद भी सूचना के अधिकार का जवाब नहीं

माही की गूंज, शुजालपुर।
अजय राज केवट

नगर पालिका शुजालपुर में नियुक्तियों को लेकर पहले से उठ रहे सवालों के बीच अब सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी लंबे समय से लंबित रहने का मामला सामने आया है। आवेदक द्वारा 30 जुलाई 2026 को महेश बिजाना एवं शुभम बिजाना से संबंधित नियुक्ति एवं सेवा संबंधी जानकारी नगर पालिका प्रशासन से मांगी गई थी, लेकिन 28 अक्टूबर 2026 तक नगर पालिका द्वारा संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

आवेदन से लेकर 028 अक्टूबर तक 90 दिन बीत चुके हैं। इसके बावजूद जानकारी का इंतजार बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर नगर पालिका प्रशासन को आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने में इतनी लंबी अवधि क्यों लग रही है?

30 जुलाई को आवेदन, 28 अक्टूबर तक भी जानकारी नहीं!

आरटीआई आवेदन 30/07/2026 को प्रस्तुत किया गया था। इसमें महेश बिजाना एवं शुभम बिजाना की नियुक्तियों से संबंधित जानकारी, नियुक्ति प्रक्रिया, आदेश, पद, पात्रता, संबंधित दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक रिकॉर्ड मांगे गए थे। लेकिन 28/10/2026 तक आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। अब यह मामला महज एक आरटीआई आवेदन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि नगर पालिका की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

यदि नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप हुई है तो संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने में आखिर परेशानी क्या है? रिकॉर्ड मौजूद हैं तो जानकारी रोकने की वजह क्या है और रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?

90 दिन की चुप्पी आखिर क्यों?

नगर पालिका प्रशासन की ओर से जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत जानकारी मांगे जाने के बावजूद 90 दिन तक इंतजार करना अपने आप में प्रशासनिक पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

सबसे अहम सवाल यह है कि क्या संबंधित फाइलें और नियुक्ति रिकॉर्ड नगर पालिका के पास मौजूद हैं? यदि मौजूद हैं तो उनकी जानकारी देने में इतनी देरी क्यों? और यदि किसी बिंदु की जानकारी देने में कानूनी बाधा है तो क्या आवेदक को उसका स्पष्ट कारण लिखित रूप में बताया गया?

नियुक्तियों के रिकॉर्ड सामने आएं तो दूध का दूध, पानी का पानी



महेश बिजाना और शुभम बिजाना की नियुक्तियों को लेकर लगाए जा रहे सवालों की वास्तविक स्थिति दस्तावेज सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकती है। इसलिए पूरे मामले में पारदर्शिता का सबसे बेहतर रास्ता यही है कि संबंधित नियुक्तियों से जुड़े रिकॉर्ड नियमानुसार उपलब्ध कराए जाएं।

नियुक्तियों में यदि सब कुछ नियमसम्मत है तो दस्तावेज सामने आने के बाद उठ रहे सवालों पर विराम लग सकता है। वहीं यदि रिकॉर्ड में कोई अनियमितता सामने आती है तो उसके आधार पर संबंधित जिम्मेदारों की भूमिका की जांच की जा सकती है।

'फर्जीवाड़े' के आरोपों की जांच दस्तावेजों से ही संभव

नियुक्तियों को लेकर फर्जीवाड़े की बात सामने आने की स्थिति में उसकी पुष्टि या खंडन केवल जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही हो सकता है। लेकिन जब आरटीआई के माध्यम से मांगी गई जानकारी ही लंबे समय तक सामने नहीं आती, तो सवाल और गहरे होते हैं।

नगर पालिका प्रशासन को चाहिए कि मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार जानकारी उपलब्ध कराए, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रांति, संदेह या अटकलों की गुंजाइश न रहे।

नगर पालिका प्रशासन से सीधे सवाल

- 30 जुलाई को आरटीआई आवेदन दिए जाने के बावजूद 28 अक्टूबर तक जानकारी क्यों नहीं दी गई?
- 90 दिन बाद भी महेश बिजाना एवं शुभम बिजाना की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज कहां अटके हैं?
- नियुक्ति प्रक्रिया, पात्रता और नियुक्ति आदेश का रिकॉर्ड कब उपलब्ध कराया जाएगा?
- यदि जानकारी देने में कोई कानूनी अड़चन है तो आवेदक को इसकी लिखित सूचना क्यों नहीं दी गई?
- संबंधित नियुक्तियों की फाइलों और दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई जा रही?
- क्या नगर पालिका प्रशासन इस मामले में उच्च अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष और रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा?

अब जवाब नगर पालिका प्रशासन को देना होगा

30 जुलाई से 28 अक्टूबर तक 90 दिन बीत चुके हैं। आरटीआई आवेदन के बावजूद जानकारी का इंतजार बना हुआ है। ऐसे में अब लोगों की निगाह नगर पालिका प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है।

सवाल सीधा है–यदि नियुक्तियों में सब कुछ पारदर्शी है तो जानकारी देने में इतनी देरी क्यों? और यदि कोई अड़चन है तो उसे सार्वजनिक रूप से स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा?

क्या सप्लाई के खेल में बच्चे बने मोहरा...! पैदल मार्च पर प्रशसन हुआ सख्त

प्राचार्य के खिलाफ पैदल मार्च, प्राचार्य ने कहा साजिश...

माही की गूंज, पेटलावद।
राकेश गेहलोत

पेटलावद का एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एक बार फिर चर्चा में है जब संस्था के सैकड़ों छात्र-छात्राएं प्राचार्य प्रकाश कुमार ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शनिवार सुबह 8 बजे पैदल स्कूल से निकले।

बच्चे रूपगढ़, गोपालपुरा होते हुए ग्रामो को पार करते हुए अपनी शिकायतें सीधे कलेक्टर को बताने की जिद पर होकर करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे। तब एसडीएम रितिका पाटीदार, एसडीओपी अनुरक्ति सबनानी, तहसीलदार यशपाल मुजाल्दे, बीईओ, बीआरसी और टीआई सहित प्रशासनिक अमला बच्चों को मनाने में जुटा रहा, लेकिन वे नहीं माने। सुबह जब बच्चे निकले तो स्कूल स्टॉफ के लाख मिन्नतें करने के बावजूद बच्चे नहीं माने और नारेबाजी करते हुए पैदल ही निकल पड़े।

इस दौरान बच्चों ने पुराना बस स्टैंड और पूर्वमुखी हनुमान मंदिर की प्याऊ पर पानी पिया तथा बोतलों में पानी भरकर आगे का सफर तय किया। रास्ते में एक बालिका को चक्कर आने पर उसे पहले गाड़ी और बाद में एम्बुलेंस में बिठाया गया।

आदिवासी संगठनों का समर्थन और प्रिंसिपल के आरोप

इस मार्च में आदिवासी समाज संगठन के पदाधिकारी प्रेम सिंह भूरिया और धर्मेंद्र डामोर भी बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। उनका आरोप है कि, क्षेत्र के सभी हॉस्टलों की स्थिति बेहद खराब है और कोई भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहा है।

वहीं, रास्ते में पहुंचे प्राचार्य प्रकाश कुमार ठाकुर ने पूरे मामले को पूर्व नियोजित षड्यंत्र बताया। उन्होंने दावा किया कि, उन्होंने ही गबन के मामलों का खुलासा किया है ओर उससे जुड़े स्कूल स्टॉफ और बाहरी सप्लायर योजना बनाकर मुझे





हटाने की कोशिश में है जिससे उनका भ्रष्टाचार उजागर न हो।

प्रभारी कलेक्टर एवं एडीएम ने संभाला मोर्चा

पैदल मार्च में शामिल बच्चों से जानकारी लेने के लिए प्रभारी कलेक्टर जितेंद्र सिंह चौहान एवं एडीएम सीएस सोलंकी भी पहुंचे। यहां उन्होंने बच्चों से बात की । एक दौर की बातचीत में बच्चे नहीं माने वे लिखित आश्वासन चाहते थे। बाद में फिर अधिकारियों ने देदला मोखड़ा के ब्रिज के पास संवाद कर बच्चों को मना लिया और यहां से बच्चों को वापिस बस में बैठाकर स्कूल भेजा गया।

प्रशासन ने दिखाई सख्ती, न्यायालय के आदेश पर तीन लोग जेल भेजे गए

ऐसा पहला मौका नहीं है जब एकलव्य स्कूल के बच्चे पैदल निकले हो इससे पूर्व भी इस प्रकार का मामला हो चुका है। साथ ही बच्चे सड़क पर भी आ चुके है। राज्यपाल के दौरे के दौरान पूरे प्रदेश में स्थानीय प्रशासन की भारी किरकिरी हुई थी। इस बार प्रशासन इस मामले में सख्त दिखा और पैदल मार्च के दौरान पहुंची अधिकारियों की टीम द्वारा विद्यार्थियों से उनकी समस्याओं एवं मांगों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उन्हें समझाइश देने का प्रयास किया गया। इस दौरान रैली में विद्यार्थियों का नेतृत्व कर रहे तीन व्यक्ति विद्यार्थियों को गुमराह एवं उत्तेजित कर प्रशासनिक अधिकारियों की बात नहीं मानने तथा पैदल झाबुआ की और आगे बढ़ने के लिए उकसाने के आरोप में प्रेमसिंह पिता मेहजी भूरिया, नरवेसिंह पिता बाबूसिंह सोलंकी व गोविन्द पिता राणजी अमलियार को विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए किसी अप्रिय घटना तथा शांति भंग होने की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया। प्रशासन का मानना है कि, बच्चों के पैदल मार्च के दौरान तीनों आरोपियों द्वारा विद्यार्थियों को समझाइश के बाद भी पुनः उकसाकर झाबुआ जाने के लिए प्रेरित किया गया।

प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में व्यवस्थाओं और पूर्व प्राचार्य को लेकर विद्यार्थियों के पैदल मार्च के बाद जिला प्रशासन ने मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। प्रशासन के अनुसार, घटनाक्रम की जांच की जा रही है। तीन व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, जबकि पालक समिति संघ के अध्यक्ष को पद से हटाने की कार्रवाई भी की गई है। वहीं विद्यार्थियों को भ्रामक जानकारी देकर प्रभावित किए जाने की आशंका के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित संस्था को भेजा जाएगा। जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा 26 अक्टूबर को जारी जानकारी में विद्यालय के पूर्व प्राचार्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों और स्टॉफ के बीच विवादों की जांच अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेटलावद तथा जिला स्तरीय जांच समिति द्वारा की गई थी। जांच प्रतिवेदन 8 अगस्त 2026 को आयुक्त, एमपी सरस, भोपाल को भेजा जा चुका है। संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं और अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

प्रशासन ने यह भी बताया कि, पूर्व में अनुशासनहीनता के मामले में पूर्व प्राचार्य सहित तीन स्टॉफ सदस्यों के प्रमोशन रोके गए थे। इसके अलावा, संबंधित चार व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस), नई दिल्ली को भी अवगत कराया गया था। उनके

प्रारंभिक जांच में नियमों के उल्लंघन के तथ्य

जिला प्रशासन द्वारा गठित जांच दल की प्रारंभिक जांच में सीसीए नियमों के उल्लंघन से संबंधित तथ्य प्रथम दृष्टया सामने आने की बात कही गई है। वर्तमान घटनाक्रम में संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। विद्यार्थियों को कथित रूप से भ्रामक जानकारी देकर प्रभावित किए जाने की आशंका को लेकर भी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जांच की जाएगी। प्रशासन के अनुसार, विस्तृत प्रतिवेदन (एनईएसटीएस), नई दिल्ली को भेजने के साथ संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पत्राचार किया जा रहा है।

विद्यार्थियों की समस्या निराकरण के लिए बालक मित्र अधिकारी नियुक्त

विद्यालय में भविष्य में ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति रोकने और विद्यार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करने के लिए जिले के विद्यालयों में 'बालक मित्र अधिकारी' नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी विद्यार्थियों की समस्याएं सुनेंगे और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों से समन्वय करेंगे।

जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की वास्तविक समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने की बात कही है। साथ ही विद्यार्थियों को अपुष्ट या भ्रामक जानकारी से प्रभावित होने के बजाय अपनी समस्याएं विद्यालय प्रबंधन, बालक मित्र अधिकारी और जिला प्रशासन के समक्ष रखने की समझाइश दी जा रही है। प्रशासन के अनुसार, विद्यालय की व्यवस्थाओं और स्टॉफ की कार्यप्रणाली की लगातार निगरानी की जाएगी।

आखिर खुलासे क्यों नहीं, करोड़ो का बजट पर टपकती है सबकी लार

जिले में एकलव्य और माडल स्कूल जैसे कई संस्थाएं हैं जिनके मामले सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आते, इन संस्थाओं में सीधे एसडीएम और कलेक्टर जुड़े होते है इसके बावजूद छात्रों की व्यवस्थाओ को लेकर सवाल खड़े होते है। इन संस्थाओं में वार्षिक बजट करोड़ो का होता है जिसके पीछे कमीशन का खेल चलता है। पेटलावद एकलव्य स्कूल की बात करे तो यहां पदस्थ पिछले चार से पांच प्राचार्य विवादों में रहे है और हटाए गए हैं। कमीशन और सप्लाई के खेल में संस्था के कई अलग-अलग विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे स्टॉफ और प्रमुख के बीच विवाद की स्थिति बन जाती है। जिसके बाद बच्चो के भविष्य बनाने वाले उनके भविष्य से खिलवाड़ कर उनको सड़को पर उतार देते है। कई प्रकार की जांचें, शिकायतें होती है लेकिन उनको कार्यालय तक सीमित रख कर उजागर नहीं किया जाता। भ्रष्टाचार और लापरवाही पाए जाने की स्थिति में क्या कार्रवाई हुई उस तक सार्वजनिक नहीं किया जाता है। मीडिया के प्रवेश और सूचना अधिकारी के आवेदन तक के लिए इस संस्था में मशक्कत करनी पड़ती है।

धन्ना सेठों के अतिक्रमण, अतिक्रमण नहीं, हमेशा गरीबों के गले अतिक्रमण के नाम पर नख देती नगरपालिका

त्यौहारी सीजन में यातायात को लेकर फिर होगी नौटंकी, आमजन होगा परेशान

माही की गूंज, झाबुआ।
मुजम्मिल मंसुरी

कहने को तो जिला मुख्यालय नगरपालिका क्षेत्र है लेकिन यहां की नगरपालिका की स्थिति इतनी बदहाल है कि, वह ना तो शहर के अतिक्रमण से निपट पा रही है और ना ही शहर की यातयात व्यवस्था से। बदहाल नगरपालिका में कभी सफाईकर्मी वेतन ना मिलने के कारण हड़ताल पर चले जाते है और महज कुछ ही दिनों में शहर कचरे के ढेर में तब्दील हो जाता है। तो कभी पेयजल व्यवस्था चरमरा जाती है, कई वार्डों में पेयजल का अंतराल पांच से छः दिनों तक पहुंच जाता है। वर्तमान में नगरपालिका एक बड़े आर्थिक कंगलेपन से जूझ रही है। हालांकि आर्थिक संकट और संघर्ष के बीच वह भेदभाव भरी अतिक्रमण मुहिम चलाने से कभी बाज नहीं आती। शहर के बीच मैन बाजार में कभी अतिक्रमण मुहिम नहीं चलाती बल्कि हमेशा ही अतिक्रमण मुहिम के नाम पर गरीबों के गले नख देती नजर आती है।

वर्तमान में त्यौहारिया सीजन चल रहा है। आने वाले समय में बड़े त्यौहारों का आगमन है और शहर में नगरपालिका की सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। हालांकि नगरपालिका और जिला प्रशासन की आदत ही रही है कि, अंतिम समय में वह लौटा संभालती है। यह समझ लीजिए कि अब वह समय आ चुका है। अब नगरपालिका और जिला प्रशासन त्यौहारिया सीजन को देखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर जल्द ही मिटिंग करेगा। बड़े-बड़े दावों और भाषणों के साथ यह मिटिंग पुलिस, प्रशासन और नगरपालिका के बीच होगी। लेकिन शहर का हर आमजन यह जानता है कि, इन मिटिंगों की सच्चाई कितनी है। पिछले वर्षों में इन मिटिंगों से कोई फायदा शहर को होता अब तक दिखाई नहीं दिया है और शायद आगे भी नहीं दिखाई देगा।





त्यौहारों के इस सीजन की शुरूआत नवरात्र और दशहरा से हो चुकी है, लेकिन अब तक जिम्मेदारों की आंखें नहीं खुली है। धन्ना सेठ और व्यापारी अपनी दुकानें लेकर अभी से सड़कों तक पहुंच चुके है। मगर नगरपालिका और जिला प्रशासन अब भी कुम्भकर्णी नींद में सोए हुए है। मिटिंग होगी, कार्ययोजना बनेगी उसके बाद थोथा चना बाजे घना की तर्ज पर नगरपालिका और प्रशासन जमीन पर उतरेंगे।

वर्तमान समय में शहर के हाल यह है कि, त्यौहारिया सीजन को लेकर व्यापारियों ने पूरी तैयारी कर ली है और इसी तैयारी को लेकर वे दुकानों से निकल कर सड़कों और फुटपाथों पर अपना कब्जा जमा चुके है। हालांकि यह अस्थाई अतिक्रमण है जो त्यौहारों के बाद खुद हट जाएगा। लेकिन जिस समय में यह अस्थाई अतिक्रमण पसरा रहेगा मुख्य समस्या तो उन्ही दिनों में आनी है। नगरपालिका और प्रशासन त्यौहारिया सीजन को लेकर चाहे जितने कागजी घोड़े दौड़ा ले लेकिन जमीनी हकीकत तो अभी से दिखना शुरू हो चुकी है।



त्यौहारिया सीजन में नगरपालिका और प्रशासन हमेशा शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने में माथा उतारनी करते रहे है और इस बार भी शायद यही रस्म अदायगी देखने को मिले। क्योंकि बड़े धन्ना सेठों, व्यापारियों और शोरूम संचालकों ने अभी से अपनी दुकानें सड़कों और फुटपाथों पर फैला दी है। त्यौहारी सीजन में यातायात व्यवस्था का क्या हाल होगा यह कहा नहीं जा सकता लेकिन वर्तमान में ही सड़कों तक पहुंचे व्यापारियों ने यातायात व्यवस्था को चरमराना शुरू कर दिया है। आनंदीलाल पारिक मार्ग यानि कॉलेज रोड पर फर्नीचर के एक बड़े शोरूम की स्थिति तो यह है कि, वह अपनी दुकान की हद छोड़ते हुए करीब 10 -12 फीट तक अतिक्रमण कर सड़क पर ही आ चुका है। बकायदा टेंट लगाए जा चुके है। इस स्थिति में कॉलेज से आने और जाने वाले वाहनों, स्कूल बसों और दो पहियां वाहन चालकों को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

सवाल यह है कि, नगरपालिका जब अतिक्रमण मुहिम चलाती है तो फिर इन धन्ना सेठों पर महरबान क्यों हो जाती है और सिर्फ गरीबों के गले ही नख क्यों लगाती हैं...? राजगढ़ नाका क्षेत्र में भी यही स्थितियां देखने को मिल रही है। उत्कृष्ट सड़क पर बना फुटपाथ अभी से पूरी तरह गायब नजर आ रहा है। जिससे दो पहियां वाहनों की पार्किंग सड़कों पर हो रही है और पैदल चलने वाले राहगीरों को सड़क के बीचों-बीच चलना पड़ रहा है। इस स्थिति में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा...? नगरपालिका या जिला प्रशासन...?

राजगढ़ नाका स्थिति कुछ हॉटल, रेस्टोरेंट और दो पहियां वाहनों के शोरूमों की स्थिति इतनी भयावह है कि, यहां अब हर समय जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। हॉटल व्यवसायियों ने अपनी हद तोड़ते हुए यहां भी फुटपाथ और सड़क पर करीब 10-12 फीट तक कब्जा कर लिया है। दो पहियां वाहन के शोरूम पर नई बाईकों को फुटपाथ पर कब्जा कर बकायदा व्हीआईपी टेंट लगाकर सजाया जा रहा है। शोरूम पर लगा व्हीआईपी टेंट फुटपाथ पर कब्जा करे हुए सड़क तक पहुंच गया है। अब शोरूम और अन्य दुकानों या हॉटल पर आने वाले लोग अपनी दो और चार पहियां वाहन बीच सड़क पर ही पार्किंग कर खरीदी करने को मजबूर है। स्थिति को देखते हो स्वतः ही लगता है कि, अब यह दुर्घटना संभावित क्षेत्र बन चुका है। अगर यहां कोई वाहन की दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा...? क्या हॉटल संचालक या शोरूम संचालक इस की जवाबदारी लेंगे। स्वभाविक है कि वे होने वाली दुर्घटना की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर क्या नगरपालिका और जिला प्रशासन होने वाली दुर्घटना की जिम्मेदारी उठाएगा...? हालांकि नगरपालिका और जिला प्रशासन की तो यह आदत ही रही है कि, वे सांप निकलने के बाद ही लाठी पीटते नजर आते है।

नगरपालिका को जब-जब अतिक्रमण को लेकर शिकायतें मिली उसने धन्ना सेठों की तरफ आंखे उठाने की जुर्रत नही की और खानापुर्ति के लिए गरीबों के गले हमेशा नख दिया। अब चूंकि त्यौहारिया सीजन चल रहा है और आने वाले दिनों में बड़े त्यौहारों का आगमन है, बाजारों में भीड़ और बढ़ने की संभावना भी है, तो क्या नगरपालिका और जिला प्रशासन धन्ना सेठों के किए गए अतिक्रमण पर आंखे तरेरता दिखाई देगा या फिर शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने का ढकोसला करेगा।

मगर नगरपालिका और प्रशासन को मशवरा तो यही है कि, धन्ना सेठों के अतिक्रमण को उनकी हद में पहुंचाए ताकि सड़क पर यातायात व्यवस्था सुधारी जा सके। त्यौहारिया सीजन में अगर शहर की यातायात व्यवस्था को दूरूस्त रखना है तो रोड़ पर आए व्यापारियों को उनकी हद में समेटना होगा। जिससे शहर के तंग बाजारों और सड़कों को आमजन के आवागमन को सहुलियत भरा बनाया जा सके।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422